प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाउस कोपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली 110001

संख्याः 1751 /खनन विभाग/2024 दिनांक 8 अक्टूबर, 2024

विषय – मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–902/2024 रामशरण गुसांई बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 04.09.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मूल आवेदन संख्या 349/2024 (आई0ए0 संख्या 147/2024) यशपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 12.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण पर जिलाधिकारी, देहरादून का प्रत्युत्तर/प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्युत्तर/प्रतिशपथ–पत्र सादर प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

अपर जिलाधिकारी (प्र0)
देहरादून

प्रतिलिपि :–

श्रीमती अंजली राजपूत, पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को उक्त प्रतिशपथ–पत्र की प्रति संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण के निस्तारण हेतु नियत दिनांक 14.10.2024 को उपरोक्त वर्णित तथ्य मा0 अधिकरण के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी (प्र0)
देहरादून

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA NO 349/2024

YASH PAL SINGH ...Applicant

VERSUS

STATE OF UUTTARAKHAND ...Respondents

& ORS

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE DHERADUN, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED.. PASSED NU THE HON'BLE TRIBUNAL

Most respectfully showeth:

I Savin Bansal S/O Sri Shashi Bansal, Aged About 40 years presently posted as District Magistrate, Uttarakhand do hereby Solemnly Affirm on oath and state as under:

1. That in my above-mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present case and I am fully competent to file present reply by way of affidavit
2. That vide order dated 12.07.2024 this hon'ble Tribunal was pleased to pass following directions:

   "1. Lerned counsel for the respondent nos 1,4,6 and 7 has prayed for four weeks time to file the reply. We find that though the affidavit of service has been filed but other unrepresented respondents are not properly served."

   That the copy of the order is Annexed herewith as ANNEXURE A.

District Magistrate
Dehradun

Para wise Reply:

3. That contents of para No 1 need not reply.
4. That the of para no 2 are wrong and denied. That the averments made therein are denied until specifically admitted. It is submitted that the proposed site for Shri Balaji stone Crusher is situated within the Doon Valley Area Notified by MoEF&CC vide letter no V-29012/ess(cPA)/2015-16 dated 01 Feb 1989. That as per the CPCB notification dated 07 march 2016 the recategorization of industries was done and stone crushers were included in the orange category (due to the Pollution Index 50). That as a result MoEF&CC Doon Valley Notification dated 06.01.2020 amended the 1989 doon valley notification and the re-classification of industries in to red, orange, green and white was made applicable to Doon Vally Area and there is provision that industries falling in orange category in which stone crusher is also included will have to obtain Environmental Clearance from SEIAA **Annexure 1.**

   That in chapter 1 Point no 03(I) of Uttarakhand Stone Crusher, Screening plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulvizer Plant, Hot Mix, Ready Mix policy 2021 promogulated by Uttarakhand Government Industrial and mining unit-1, vide its office memorandum no 1875/VII-A-I/2021-03(101)/2021 dated 11 Nov 2021, Shri Balaji stone crusher Address 2nd floor GuruKripa Complex, New Road, Opposite M.KP College, Dehradun, Khasra under village Majrigrant area of Tehsil Doiwala no 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220 kha, 1326, 1329, 1330, 1325 kha total area is 1.550 submitted application as per Schedule 1 form along with the relevant records for installation of stone crusher on the land on 02.08.2022 in the office of the District Mining Officer, Dehradun. **Annexure 2.**

   That after obtaining all relevant documents by Shri Balaji Stone Crusher along with application dated 02.08.2022 for Installation of Stone Crusher and Storage of

District Magistrate
Dehradun

Minerals in Plant Premises, the District Mining Officer, Dehradun vide his letter no 327 dated 02.09.2022 to the District Magistrate requesting members to provide the Joint Inspection report as per Point no 6 of chapter 1 of Uttarakhand Stone Crusher, Screening plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulvizer Plant, Hot Mix, Ready Mix policy 2021, for the proposal/application of the stone crusher at the proposed site. **Annexure 3.**

That the District Magistrate, Dehradun in light of Para 6 Chapter 1 of Uttarakhand Stone Crusher, Screening plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulvizer Plant, Hot Mix, Ready Mix policy 2021 vide his letter no 24/Mineral/2022 dated 14 Sept 2022 sent letter to the members of the Committee i.e. Divisional Forest Officer, Forest Division Doiwala and District Mining Officer, Dehradun to submit a joint inspection report of the proposed project site for the establishment of the Stone Crusher. **Annexure 4.**

In continuation of the letter dated 14.09.2022, the Office of the S.D.M. Doiwala, Distt.-Dehradun through letter no 387/Na-NA/(Inspection Sto-Cru)/2022-23 dated 22 Sept 2022 informed the members of the Joint committee that the date 27.09.2022 was fixed for the inspection of the proposed/applicant stone Crusher site. As per the inspection report of the Joint committee comprising of the Revenue Department, Mining Department and Forest Department, Shri Balaji Stone Crusher proposed Site is located at a a distance that fulfils the standards specified in the Uttarakhand Stone Crusher Policy. That the Joint Inspection report was submitted to the higher officials. That a request letter was sent to the Member Secretary, Environment protection and Pollution Control Board, Dehradun by Director, Geology and Mining Unit, Government of Uttarakhand vide Letter no 521/Sto-Crusher/Bhu-kha-ikai/ Dehradun/2023-24 dated 09.05.2023 for conducting inspection of the proposed site of

District Magistrate
Dehradun

Shri Balaji stone crusher and provide recommendation/no-Objection for the proposed project. Instantaneously Member Secretary, Environment protection and Pollution Control Board, Gaura Devi Paryavaran Bhavan 46 B IT Park, Sehstra Dhara Road, Dehradun vide letter no UKPCB/HO/S-183-438/2023/456 dated July 03, 2023 provided its inspection report. **Annexure 5.**

That keeping in view the standards mentioned in the joint inspection report of the constituted committee and the inspection report of Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun, Uttarakhand Government Industrial Development Section-1, office memorandum number 2881/VII-A-1/2023-03(24) / 2023 dated 04 December, 2023 gave permission for establishment/operation of stone crusher plant and storage of minerals at the plant premises in favor of Shri Balaji Stone Crusher, No. 2nd Floor Gurukripa Complex, New Road Opposite M.K.P. College, District Dehradun, Khasra No. 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220 kha, 1326, 1329, 1330, 1325 b Village Majri grant area of Tehsil Doiwala for capacity of 200 ton per hour total area of 1.550 hectare land for a period of 10 years subject to the decisions in cases Diary No. 24713 /2023 State of Uttarakhand and others vs. Deepak Kumar pending before the Hon'ble Supreme Court Of India, New Delhi, and others, Public Interest Litigation No. 39/2022 pending before Hon'ble Uttarakhand High Court, Nainital and OA no 702/2022 titled as Deepak Kumar and others vs. State of Uttarakhand and others pending before the Hon'ble National Green Tribunal Bench, Principal Bench, New Delhi. **Annexure 6**

That condition no 1 of the office memorandum dated December 04, 2023 i.e permission/licence for the establishment of stone crusher it is stated that the proposed site is Situated in Doon Valley area as notified by the Doon Valley Notification dated February 1, 1989. That as per Central Pollution Control Board's letter number B-

District Magistrate
Dehradun

29012/ess(CPA)/2015-16 dated March 07, 2016 specifying classification of industries Stone Crusher has been specified in Orange Category list (Pollution Index-50).

That as a result MoEF & CC notification Dated 06.01.2020 modified 1989 doon Valley Notification and applied the classification of industries Red, Orange, Green and White category in Doon Valley. That there is a provision to grant permission for establishment of orange category industries, which includes stone crushers, after obtaining environmental clearance from State Environment Impact Assessment Authority. Therefore, it is mandatory to obtain environmental clearance before setting up/operating a stone crusher plant in the area in question and storing minerals in the plant premises and only after obtaining the requisite clearance, the work of setting up/operating a stone crusher plant and storing minerals in the plant premises can be be started.

In the continuation of the above project proponent obtained EC vide letter no E.C no 153009(91)/2023 dated 30 January 2024 from SIEAA and obtained Consent to establish from UKPCB letter no UKPCB/RD/NOC/ Dehradun-3729/2023-24/4519-1811 dated 18-01-2024 That at present Project proponent has not obtained Consent to Operate and the Plant is not functional. **Annexure 7**.

It is submitted herein that as per the inspection of the revenue records Khasra no 1218 and 1219 are adjacent to the Khasra no 1220 and Khasra no. 1218 and 1219 are in the form of submerged land under category Category 6 (1), but Khasra no. 1220 kha has been acquired by the plant owner for stone crusher. However, the project proponent has not applied for permission in Khasra no 1218 and 1219. That as per the investigation report of the Revenue Department, an application has been made by the project proponent for the establishment of a stone crusher in Khasra No. 1220 kha, area 0.1820 hectares, which as per the revenue records is registered in the name of Shri

District Magistrate
Dehradun

Lakshmi Singh, son of Shri Jaspal Singh, resident of Kurali Rudraprayag. **Annexure 8.**

5. That the contents and averments made in Para no 3 are wrong and denied. It is submitted that as per joint inspection report of the constituted committee, the proposed site for the stone crusher is located at a distance of 60 meters from the Jakhan river. In relation to which, it was mentioned in the letter number 295/SA-II/SC Dedun dated 29.12.2021 of the Executive Engineer Irrigation Division, Dehradun, which is addressed to the Gram Pradhan, Gram Panchayat, Majri Grant Development Block, Doiwala District, Dehradun, there is a huge amount of water flow in Jakhan river during monsoon period at the Fun Valley site and water does not flow in the Jakhan River during lean period at that place. That Jakhan River appears to be (Non Perennial river) in upstream of Fun Valley. **Annexure:- 9.** That apart from the above, Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulverizer Plant, Hot Mix Plant, According to (d) of the Readymix Plant License Policy-2021, rainy river, drain and pond (Non Perennial river) means such water flow in which water and flow occurs only during the rainy season.
6. That the averments and contents of Para no 4 needs no reply. That the reply to para 3 may be read as part and parcel to this Para.
7. That the contents and averments made in Para no 5 are wrong and denied. It is submitted that as per the joint inspection report of the constituted committee, the distance of the population from the proposed Project site for the stone crusher is more than 300 meters, which is situated at a reasonable distance as per the standards prescribed in the Uttarakhand Stone Crusher policy 2021. That Uttarakhand Stone Crusher policy 2021, does not mention the distance standards of the Cremation ground from proposed stone crusher and screening. **Annexure 10.**

District Magistrate
Dehradun

8. That the contents and averments made in Para no 6 are wrong and denied. It is Submitted that as per chapter no 1 of Uttarakhand Stone Crusher policy -2021 point number 13 (2) approval of the stone crusher/screening plant and storage place to be established by the government for commercial purposes in private land will be sent to the District Magistrate and Director General after being issued from the competent level and after the installation of the plant at the site the site will automatically be recorded under section 143 of UPZALR Act-1950 (as in force in the state of Uttarakhand and as amended from time to time) by the S.D.M. concerned. and it will automatically be recorded by the S.D.M. concerned. **Annexure 11**
9. That the averments and contents of Para no 7 needs no reply. That the reply to para 6 may be read as part and parcel to this Para.
10. That the averments and contents of Para no 8 needs no reply.
11. That in reply to the Para no 9.That after the obtaining the Environmental clearence form SEIAA and Consent to Establish and Consent to Operate by the project proponent, the stone crusher is made functional.
12. That the averments and contents of Para no 10 needs no reply. That the reply to para 2 may be read as part and parcel to this Para.
13. That the averments and contents of Para no 11 needs no reply. That the reply to para 2 may be read as part and parcel to this Para.
14. That in reply to the contents of Para no 12 it is submitted that the project proponent has not obtained consent to operate from the Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board for the operation of the stone crusher. That after obtaining the consent to operate the stone crusher, the work of establishment/operation of the stone crusher plant and storage of minerals in the plant premises will be started

District Magistra.
Dehradun

15. That the averments and contents of Para no 13 need no reply. That the reply to para 2 may be read as part and parcel to this Para.

16. That the averments and contents of Para no 14 need no reply. That the reply to para 2 may be read as part and parcel to this Para.

17. That the averments and contents of Para no 15 need no reply. That the reply to para 2 may be read as part and parcel to this Para.

18. It is submitted that only after fulfilling the conditions mentioned in the Uttarakhand Stone Crusher Policy-2021 the Stone Crusher Plant and Storage of Minerals at the plant premises i.e Shri Balaji Stone Crusher, No. 2nd Floor Gurukripa, 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220 kha, 1326, 1329, 1330, 1325 kha total area is 1.550, total area of land is 1.550 hectares will be operational.

19. That the para no 6 of the above mentioned policy has been modified on 25 May 2023 . That the copy of the modified policy is annexed herewith as **Annexure 12**.

20. That, in compliance of the order dated 16.07.2024 passed by this Hon'ble Tribunal the present reply is filed on behalf of the District Magistrate, Dehradun for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

Deponent

District Magistrate
Dehradun

VERIFICATION

I, Deponent above named do hereby verify and say that the contents of above report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom. That legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me on.......-.......at.........-.........on this ..08th..day of October 2024 at. Dehra Dun..

Deponent

District Magistrate
Dehradun

Annexure-1
(संलग्नक -1)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii), संख्या का.आ. 102 (अ), तारीख 1 फरवरी, 1989 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2020

S.O. 94(E).—WHEREAS, *vide* notification number S.O. 102(E), dated the 1st February, 1989 (hereinafter referred as the said notification) the erstwhile Ministry of Environment and Forests imposed restriction on location of industries, mining operations and other developmental activities in the Doon Valley, bounded on the North by Mussoorie ridge, in the North-East by Lesser Himalayan ranges, on the South-West by Shivalik ranges, river Ganga in the South-East and river Yamuna in the North-West in erstwhile Uttar Pradesh (now Uttarakhand), keeping in view the environmental impact in the region;

AND WHEREAS, in respect of the said notification certain directions have been issued *vide* notification number S.O. 943 (E), dated the 4th July, 2005 and S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007;

AND WHEREAS, in the meantime the Central Pollution Control Board (CPCB) has also issued directions on the categorisation of industries *vide* letter No. B-29012/ ESS(CPA)/2015-16, dated the 7th March, 2016;

AND WHEREAS, the Government of Uttarakhand *vide* letter No. 122/D-3-19-13(04)/2018, dated the 10th April, 2019 requested the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for amendment in the said notification;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has examined the request of the Government of Uttarakhand;

AND WHEREAS, there is a need to consolidate the amendments and the directions as above and also to harmonise the conditions based on the said directions and amendments;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with sub-rule (4) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification and impose following conditions in respect of the activities falling the Doon Valley comprising of the above criteria, namely: -

In the said notification, for clauses (i), (ii), (iii), (iv), (v) and ANNEXURE, the following shall be substituted, namely:-

"(i) **Location/siting of industrial units** – It has to be as per modified directions issued by the Central Pollution Control Board (CPCB) *vide* letter No. B-29012/ESS(CPA)/2015-16, dated the 7th March, 2016 under section 18(1)(b) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 regarding harmonization of classification of industrial sectors under red/orange/green/white categories and as may be amended from time to time by the CPCB and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(ii) **Mining** – Approval of the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change must be obtained before starting any mining activity.

(iii) **Tourism** – It should as per Tourism Development Plan (TDP), to be prepared by the State Department of Tourism and duly approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(iv) **Grazing** – As per the plan to be prepared by the State Government and duly approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(v) **Land Use** – As per Master Plan of development and Land Use Plan of the entire area, to be prepared by the State Government and approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

Note:

(a) Red categories of industries shall not be permitted in Doon Valley;

(b) The total number of fuel burning industries that shall be permitted in the Doon Valley shall be limited by 8 tonnes per day of Sulphur Dioxide from all sources. (This corresponds to 400 tonnes per day Coal with 1 % Sulphur);

(c) Siting of Industrial areas shall be based on the prescribed criterion and with prior approval of Competent Authority;

(d) Existing orange categories industries, which are now in the red categories of industries shall be continued, however, no expansion shall be allowed.".

[F. No. 25/6/2012-ESZ]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 102 (E), dated the 1st February,1989.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS GOVT. OF INDIA

March 07, 2016

No.B-29012/ESS(CPA)/2015-16/

To

The Chairman
All the State Pollution Control Boards / Pollution Control Committees
(List Attached)

SUB: MODIFIED DIRECTIONS UNDER SECTION 18(1)(b) OF THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 and THE AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 REGARDING HARMONIZATION OF CLASSIFICATION OF INDUSTRIAL SECTORS UNDER RED / ORANGE / GREEN / WHITE CATEGORIES.

WHEREAS, under section 16 (2)(b) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 16 (2)(c) of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, one of the functions of the Central Pollution Control Board (CPCB), constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, is to coordinate activities of the State Pollution Control Boards (SPCBs) and Pollution Control Committees (PCCs); and

WHEREAS, under section 16 (2)(c) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 16 (2)(d) of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, one of the functions of the CPCB is to provide technical assistance and guidance to SPCBs and PCCs; and

WHEREAS, it was brought to the notice of CPCB, that different SPCBs /PCCs were following different criteria for classification of industrial sectors under Red/Orange/ Green category and that classification was being used by the SPCBs/PCCs for grant of consents to industries and for Inventorization / surveillance of industries.

WHEREAS, the issue regarding classification of industries was deliberated upon in the 56th Conference of Chairmen & Member Secretaries of CPCB & SPCBs/PCCs held on August 31, 2010 and a working group comprising of representatives from SPCBs & CPCB was constituted to prepare a consolidated list of industrial sectors falling under Red/Orange/Green category to bring uniformity in classification of industrial sectors across the country;

'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar, Delhi - 110032
दूरभाष/Tel. 43102030, फैक्स/Fax : 22305793, 22307078, 22307079, 22301932, 22304948
ई-मेल/e-mail : cpcb@nic.in वेबसाइट/Website : www.cpcb.nic.in

WHEREAS, the report prepared by the Working Group was discussed in the 57th Conference of Chairmen & Member Secretaries of CPCB& SPCBs/PCCs held in Delhi on September 15, 2011, wherein some modifications were proposed;

WHEREAS, the final report of the working group was prepared, incorporating the suggestions/observations made in the 57th Conference of Chairmen and Member Secretaries of CPCB & SPCBs/PCCs and in exercise of the powers delegated to the Chairman, CPCB under Section 18(1)(b) of the Water Act, 1974, following directions were issued for compliance to all SPCBs/PCCs to maintain uniformity in categorization of industries as red, orange and green as per list finalized by CPCB, which identified 85 types of industrial sectors as 'Red', 73 industrial sectors as 'Orange' and 86 sectors as 'Green':

a). To maintain uniformity in categorization of industries under Red/ Orange/Green category, the SPCBs /PCCs shall adopt the list as finalized by CPCB based on the recommendations of that Working Group for grant of Consent, inventorization of industries under Red, Orange and Green categories and other related activities.

(b). The SPCBs/PCCs shall revise the list of Red, Orange and Green categories of industries operating in their jurisdiction based on the criteria specified in the final report of that Working Group and submit the same to CPCB within 90 days in hard copy as well as soft copy;

WHEREAS, later-on, it was observed that the process of categorization thus far was primarily based on the size of the industries and consumption of resources and pollution due to discharge of emissions and effluents and its likely impact on health was not considered as primary criteria;

WHEREAS, there have been proposals from the SPCBs / PCCs and industrial associations for categorization of the industrial sectors in a more pragmatic manner. The issue was discussed during the national level conference of the Environment Ministers of the States, held in New Delhi during April 06-07, 2015 and also during the Conference of the Chairmen and Member Secretaries of CPCB and SPCBs/PCCs held in New Delhi on April 08, 2015. Accordingly, a 'Working Group' comprising of the Members from Central Pollution Control Board and State Pollution Control Boards representing the States of Andhra Pradesh, Punjab, Tamilnadu, West Bengal, Madhya Pradesh and Maharashtra, was constituted to revisit the criteria of categorization of industries and suggest rationale based on pollution potential for categorization of industrial sectors and adopting it for implementation of pollution control plan;

WHEREAS, the Working Group has developed the criteria of categorization of industrial sectors based on the concept of Pollution Index which is a function of the emissions (air pollutants), effluents (water pollutants), hazardous wastes generated and consumption of resources. For this purpose the references are taken from the the Water (Prevention and Control

of Pollution) Cess (Amendment) Act, 2003, Standards so far prescribed for various pollutants under Environment (Protection) Act , 1986 and Doon Valley Notification, 1989 issued by MoEFCC. The Pollution Index (PI) of any industrial sector is a number from 0 to 100 and the increasing value of PI denotes the increasing degree of pollution load from the industrial sector;

WHEREAS , based on the series of consultations with SPCBs, different Government / Non-government Institutions including industries and MoEFCC , the following criteria on 'Range of Pollution Index 'for the purpose of categorization of industrial sectors has been finalized:

- Industrial Sectors having Pollution Index score of 60 and above - Red category
- Industrial Sectors having Pollution Index score of 41 to 59 -Orange category
- Industrial Sectors having Pollution Index score of 21 to 40 -Green category
- Industrial Sectors having Pollution Index score incl. & upto 20 -White category

WHEREAS, based on the revised criteria, the 'Final Report on Revised Categorization of Industrial Sectors under Red/Orange/Green/White' has been evolved. The 'Categorization' is based on the relative pollution potential of the industrial sectors and grouping of the industrial sectors based on the use of raw materials, manufacturing process adopted and pollutants likely to be generated;

WHEREAS, based on relative Pollution Index, the number of industries in various categories are as under :

i. The Red category of industrial sectors: 60
ii. The Orange category of industrial sectors: 83
iii. The Green category of industrial sectors: 63 and
iv. The Newly introduced White category: 36

WHEREAS, there shall be no necessity of obtaining the Consent to Operate" for White category of industries and an intimation to concerned SPCB / PCC shall suffice;

WHEREAS, the purpose of categorization is to ensure that the industry is established in a manner consistent with the environmental objectives and to prompt industrial sectors to adopt cleaner technologies, ultimately resulting in generation of no or minimum pollutants.

WHEREAS the new categorization system shall also facilitate in self-assessment by industries;

Now, therefore, in exercise of the powers delegated to the Chairman, CPCB under Section 18(1)(b) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Section 18(1)(b) of the Air (Prevention & Control of Pollution), Act , 1981 the earlier Directions issued in June 2012 in the context of categorisation of industries as Red, Orange & Green are withdrawn with immediate effect and following **'Directions'** are hereby issued for compliance by all SPCBs and PCCs :

1. That the SPCBs and PCCs shall adopt the Revised Criteria of categorization of industrial sectors as detailed in table nos. F1, F2, F3 and F4 and Revised Lists of Red, Orange, Green and White categories of industrial sectors, presented at table no. G2, G3, G4 and G5 respectively, in the 'Final Report' as attached herewith immediately.
2. That all pending applications for consideration of 'Consent to Establish' and 'Consent to Operate' and future such applications shall be processed as per revised criteria.
3. That the SPCBs and PCCs will provide the list of industries identified in each category existing in the State which have been considered for grant of consents. SPCBs/PCCs will forward the list of such industries before 31.05.2016 and the same will be uploaded on the websites of respective SPCB/PCC.
4. That the 'Revised Lists of Red, Orange, Green and White category of industrial sectors' shall be used by the SPCBs and PCCs for Consent Management and inventorization of industries under Red, Orange ,Green and White categories. Siting of industries shall be only in conforming areas. SPCBs / PCCs shall evolve sector specific plans for control of pollution and industrial surveillance for verifying compliance.
5. That the SPCBs and PCCs shall revise /prepare the inventory of Red, Orange, Green and White categories of industries operating in their jurisdiction based on the revised criteria specified in the Final Report and submit the same to CPCB within 90 days i.e., before 30.05.2016 in hard copy as well as soft copy.
6. That the listed category of industries or those identified later-on under different categories shall not be linked to sanction of loan / finance or bank proceedings.
7. That any further addition of any new or left-over industrial sector and their categorization which is not listed in the revised list of Red, Orange, Green and White industrial sectors, shall be done at the level of concerned SPCB /PCC following revised criteria & guidelines as detailed in the attached document and no concurrence of CPCB shall normally be required. It is further clarified that while categorizing the industries, fractional numbers shall be rounded off to nearest integer.

The SPCBs/PCCs shall acknowledge the receipt of directions and submit the 'Action Taken Report' in compliance with these directions to CPCB before 15.04.2016.

(Arun Kumar Mehta)
Chairman
7/3/16

Copy to:

1. The Chief Secretary of all the States and UTs
2. The Secretary ,
   Ministry of Micro, Small and Medium Entrepreneurs
   Udyog Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110 011
3. The Secretary ,
   Ministry of Heavy Industries
   Udyog Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110 011
4. The Secretary,
   Ministry of New and Renewable Energy
   Block-14, CGO Complex,
   Lodhi Road,New Delhi-110 003,
5. The Advisor(CP Division)
   Ministry of Environment ,Forests and Climate Change
   Indira Paryavaran Bhawan
   Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003
6. All Zonal Offices of CPCB

(A. B. Akolkar) 7.3.16
Member Secretary

Annexure-2 [17] (संलग्नक-2)

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र

अनुसूची–1

(06 प्रतियों में)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला DEHRADUN

आवेदन प्राप्ति का दिनांक 02.08.2022

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर एवं स्कीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:–SHREE BALAJI STONE CRUSHER

2– स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):– Shri. Dalip Kumar, Shri. Prakash Singh Dhima, Smt. Pushpa Butola, Shri. Mohit Butola.
पता–2nd Floor, Gurukripa Complex New Road OPP. MKP COLLEGE Dehradun-248001
मोबाईल नं0– 9897921904
ई–मेल आई0डी0– bhaskarbadoni@gmail.com

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जिला DEHRADUN
तहसील RISHIKESH
ग्राम MAJARI GRANT
खसरा संख्या 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220 2a, 1316 2a, 1326, 1329, 1330, 1325 2a, 1223,
क्षेत्रफल 1.6270 है.

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) 200 ton।

5– अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति मे निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति ENCLOSED।

6– प्लांट परिसर मे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे) 10,50,000 ton.।

7– अनुज्ञा शुल्क का विवरण :– चालान सं0 CPABXFMTD4 धनराशि 10000/- दिनांक 26/07/2022.

8–अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है 10 YEAR।

9–यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता X।

10– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता INDIAN।

11–आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति ENCLOSED।

12–यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के विधिवत रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ENCLOSED।

13–आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ENCLOSED।

14– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति ENCLOSED।

15– आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्लान्ट की प्रति ENCLOSED

16– स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति ENCLOSED

17– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति ENCLOSED

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ENCLOSED।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध मे नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ENCLOSED।

20 –आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति। ENCLOSE

21– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर की प्रति (Applied) (Affidavit ENCLOSED)

22– प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथं पत्र की प्रमाणित प्रति ENCLOSED।

23– प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र ENCLOSED.

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक..............................

आवेदक का हस्ताक्षर।

संलग्नक-3
(Annexure-3)

21

प्रेषक,

प्रभारी जिला खान अधिकारी/सर्वेक्षक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
जिला कार्यालय देहरादून।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

संख्याः 327 /स्टोन क्रेशर /भू0खनि0ई0–जि0कार्या0देदून /2022–23, दिनांक 02 सितम्बर, 2022

विषयः आवेदक श्री बालाजी स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह धीमान, श्रीमती पुष्पा बुटोला, श्री मोहित बुटोला निवासी द्वितीय फ्लोर गुरूकृपा कॉम्पलैक्स न्यू रोड आपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज देहरादून के द्वारा तहसील ऋषिकेश के ग्राम माजरी ग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1316ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख, 1223 कुल क्षेत्रफल 1.6270 है0 भूमि पर पर उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अन्तर्गत 200 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2022 के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1875/VII-A-I/2021–03(101)/2021 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अन्तर्गत आवेदक श्री बालाजी स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह धीमान, श्रीमती पुष्पा बुटोला, श्री मोहित बुटोला निवासी द्वितीय फ्लोर गुरूकृपा कॉम्पलैक्स न्यू रोड आपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज देहरादून के द्वारा तहसील ऋषिकेश के ग्राम माजरी ग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1316ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख, 1223 कुल क्षेत्रफल 1.6270 है0 भूमि पर 200 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन की अनुज्ञप्ति हेतु उक्त नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 03(I) के प्राविधानानुसार स्टोन क्रेशर की स्थापना एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–01 मे छः प्रतियों में प्रस्तुत किया गया है। उक्त नीति के अध्याय–I के बिन्दु सख्या 04 के प्राविधानानुसार स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क के रूप में रू0 10,000.00/–की धनराशि ई–चालान संख्या 08530722E0057483 दिनांक 26.07.2022 के माध्यम से निर्धारित लेखाशीर्षक मे जमा कराते हुए आवदेन पत्र मय अभिलेखो सहित इस कार्यालय में दिनांक 02.08.2022 को प्रस्तुत किया है।

2– उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1875/VII-A-I/2021–03(101)/2021 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के बिन्दु संख्या 03(I) के प्राविधानानुसार *"स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–01 में उल्लिखित प्रपत्र पर वर्णित अभिलेखो एवं आवेदन शुल्क सहित छः प्रतियों में जिला स्तरीय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय में प्रस्तुत कियां जायेगा। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।"*

उक्त के क्रम में आवेदक द्वारा इस कार्यालय में आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–01 में छः प्रतियों मे प्रस्तुत किया गया है। *संलग्न अभिलेखो मे से आवेदक फर्म द्वारा फर्म की GST हेतु आवेदन किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न की गयी है। उक्त के अतिरिक्त आवेदक फर्म द्वारा नोट्राईज्ड शपथ पत्र दिनांक 24.08.2022 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि "शपथकर्ता मै0 श्री बालाजी स्टोन क्रेशर साझेदारी फर्म के साझेदार है एवं उक्त फर्म के नाम शपथकर्ता ने जी0एस0टी0 नम्बर हेतु आवेदन किया गया हुआ है, जो कि शपथकर्ता को अभी तक प्राप्त नही हुआ है। यह कि शपथकर्ता जी0एस0टी0 नम्बर प्राप्त होते ही उससे सम्बन्धित प्रपत्रो को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगें, जिसकी पुष्टि शपथकर्ता इस शपथ पत्र द्वारा करते है। "*

(81)

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 06 के प्राविधानानुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के चयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है:–

1. सम्बन्धित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी :– अध्यक्ष
2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो :–सदस्य
3. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी :–सदस्य सचिव

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक श्री बालाजी स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह धीमान, श्रीमती पुष्पा बुटोला, श्री मोहित बुटोला निवासी द्वितीय फ्लोर गुरूकृपा कॉम्पलैक्स न्यू रोड आपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज देहरादून के द्वारा तहसील ऋषिकेश के ग्राम माजरी ग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1316ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख, 1223 कुल क्षेत्रफल 1.6270 है0 भूमि पर 200 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन की अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र मय संलग्नको सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि ***कृपया उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट मोबाईल स्टोन क्रेशर,मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट,हाट मिक्स प्लान्ट,रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 06*** के प्राविधानानुसार गठित समिति के सदस्यों को आवेदित स्थल की स्थलीय निरीक्षण हेतु निर्देश देना चाहे।

संलग्नक : आवेदन पत्र मयसंलग्न पॉच प्रतियों मे।

भवदीय,
Aishwarya Shah 02/09/2022
(ऐश्वर्य शाह)
प्रभारी खान अधिकारी/सर्वेक्षक
देहरादून।

संख्या 327/स्टोन क्रेशर /भू0खनि0ई0–जि0कार्या0देदून /2022–23, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि : निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड भोपालपानी देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Aishwarya Shah 02/09/22
प्रभारी खान अधिकारी/सर्वेक्षक
देहरादून।

(Annexure-4) संलग्नक-4

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

पत्र संख्या 24 /खनिज–अनु0/2022 दिनांक 14 सितम्बर, 2022

सेवा में,

1– उपजिलाधिकारी डोईवाला

2– प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, डोईवाला

3– महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उघोग निदेशालय जिला देहरादून द्वारा नामित प्राधिकारी जिला खान अधिकारी, देहरादून।

विषयः– **आवेदक श्री बालाजी स्टोन केशर पार्टनर श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह धीमान, श्रीमती पुष्पा बुटोला, श्री मोहित बुटोला निवासी द्वितीय फलोर गुरूकृपा कॉम्पलैक्स न्यू रोड आपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज देहरादून के द्वारा तहसील ऋषिकेश के ग्राम माजरी ग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या–1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1316ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख, 1223 कुल क्षेत्रफल 1.6270 है0 भूमि पर उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अन्तर्गत 200 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन केशर एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.08.2022 के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन औघोगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या--1875/सात–1/2021/158ख–04 टी0सी0 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–1 के बिन्दु संख्या 03(i) के प्राविधानानुसार स्टोन केशर स्थापना एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु जनपद स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की गयी है:–

1–	उपजिलाधिकारी डोईवाला	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग देहरादून	सदस्य
3–	महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उघोग निदेशालय उत्तराखण्ड जिला देहरादून द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिला खान अधिकारी देहरादून।	सदस्य सचिव

अतः जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उघोग निदेशालय के पत्र संख्या 327/स्टोन केशर/भू0खनि0ई0–जि0कार्या0देदून/2022–23 दिनांक 02 सितम्बर, 2022 के द्वारा श्री बालाजी स्टोन केशर पार्टनर श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह धीमान, श्रीमती पुष्पा बुटोला, श्री मोहित बुटोला निवासी द्वितीय फलोर गुरूकृपा कॉम्पलैक्स न्यू रोड आपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज देहरादून के द्वारा तहसील ऋषिकेश के ग्राम माजरी ग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या–1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1316ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख, 1223 कुल क्षेत्रफल 1.6270 है0 भूमि पर उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अन्तर्गत 200 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन केशर एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.08.2022 पर समिति स्थलीय निरीक्षण पर संयुक्त जांच आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(कृष्ण कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0),
देहरादून।

श्रीमती शीला (क्रमशः) पत्रावली पर रखें
22/09/22

संलग्नक-5 (84)
(Annexure-5)

कार्यालय उप जिलाधिकारी डोईवाला।

संख्या 387 / ना0ना0(जॉच स्टो0केशर) / 2022-23 दिनांकः 22 सितम्बर, 2022

सेवा में,

1—प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून।

2—महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड जिला देहरादून द्वारा प्रधिकृत अधिकारी जिला खान अधिकारी देहरादून।

विषयः— **आवेदक श्री बालाजी स्टोन केशर पार्टनर श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह धीमान, श्रीमती पुष्पा बुटोला, श्री मोहित बुटोला निवासी द्वितीय फलोर गुरुकृपा कॉम्पलैक्स न्यू रोड अपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज जिला देहरादून के द्वारा तहसील डोईवाला के ग्राम माजरीग्रान्ट क्षेत्रांतर्गत खसरा संख्या—1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1316ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख, 1223 कुल क्षेत्रफल 1.6270 है0 भूमि पर उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति—2021 के अन्तर्गत 200 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन केशर एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2022 के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या—24 / खनिज—अनु0 —2022 दिनांक 14 सितम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या—327 / स्टोन केशर / भू0खनि0ई0—जि0कार्या0देदून / 2022—23 दिनांक 02 सितम्बर, 2022 के द्वारा आवेदक श्री बालाजी स्टोन केशर पार्टनर श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह धीमान, श्रीमती पुष्पा बुटोला, श्री मोहित बुटोला निवासी द्वितीय फलोर गुरुकृपा कॉम्पलैक्स न्यू रोड अपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज जिला देहरादून के द्वारा तहसील डोईवाला के ग्राम माजरीग्रान्ट क्षेत्रांतर्गत खसरा संख्या—1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1316ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख, 1223 कुल क्षेत्रफल 1.6270 है0 भूमि पर उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति—2021 के अन्तर्गत 200 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन केशर एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2022 पर समिति स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त जॉच आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के कम में आपको सूचित किया जाता है कि आप <u>दिनांक 27.09.2022</u> को समय 3:00 बजे उक्त स्थल पर उपस्थित होकर संयुक्त जॉच आख्या तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि जॉच आख्या जिलाधिकारी महोदय देहरादून को प्रेषित की जा सके।

22/9/22
(युक्ता मिश्र)
उप जिलाधिकारी
डोईवाला।

प्रतिलिपिः—

1:— तहसीलदार डोईवाला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक <u>दिनांक 27.09.2022</u> को संयुक्त निरीक्षण के दौरान अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

22/9/22
उप जिलाधिकारी
डोईवाला।

स्टोन क्रेशर की स्थापना एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा सम्बन्धी संयुक्त निरीक्षण आख्या (अनुसूची–2)

1. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम :– श्री बालाजी स्टोन क्रेशर।
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फार्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम) : श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह धीमान, श्रीमती पुष्पा बुटोला, श्री मोहित बुटोला निवासी द्वितीय फ्लोर गुरूकृपा कॉम्पलैक्स न्यू रोड ऑपोजिट एम0के0पी0 कालेज देहरादून।
3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण :–कार्यालय उपजिलाधिकारी डोईवाला के पत्र संख्या 387/ना0ना0 (जॉच)–स्टो0क्रेशर)/2022–23 दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के क्रम में स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदित स्थल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 27.09.2022 को किया गया जिसका विवरण निम्नवत है : –

क्र0सं0	ग्राम	तहसील	जनपद	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है0में)
01	माजरीग्रान्ट	डोइवाला	देहरादून	1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख,	कुल रकबा 1.6270 है0-0.077 है0 (खसरा संख्या 1316ख रकबा 0. 077 है0 एक सहत खण्ड में होने के कारण) = 1.5500 है0 भूमि स्टोन क्रेशर हेतु उपयुक्त पायी गयी।

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घण्टा) :–200 टन/प्रतिघण्टा। (आवेदन पत्र के अनुसार)
5. आवेदन शुल्क का विवरण :–

क्र0सं0	चालान संख्या (ई–चालान)	धनराशि (रू0 में)	दिनांक
01	08530722E0057483	10000.00	26.07.2022

6. आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे टिप्पणी :–श्री बालाजी स्टोन क्रेशर में चार पार्टनर है:–
   1. श्री दलीप कुमार को उपजिलाधिकारी डोईवाला देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0300030387 दिनांक 20.07. 2022 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
   2. श्री प्रदीप सिंह धीमान को उपजिलाधिकारी डोईवाला देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0300030390 दिनांक 18. 07.2022 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
   3. श्रीमती पुष्पा बुटोला पत्नी श्री कुलदीप बुटोला को उपजिलाधिकारी देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0300030152 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
   4. श्री मोहित बुटोला को उपजिलाधिकारी देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0300034935 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
7. आवेदक के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे टिप्पणी :– श्री बालाजी स्टोन क्रेशर में चार पार्टनर है:–
   1. श्री दलीप कुमार को उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के प्रमाण पत्र संख्या 574 दिनांक 10.05.2002 के द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
   2. श्री प्रदीप सिंह को उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के प्रमाण पत्र संख्या 2386 दिनांक 24.02.1999 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
   3. श्रीमती पुष्पा बुटोला पत्नी श्री कुलदीप बुटोला को उपजिलाधिकारी देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0100212125 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी
बड़कोट रेंज
देहरादून वन प्रभाग

(92)

4. श्री मोहित बुटोला को उपजिलाधिकारी देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0100212116 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा स्थायी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

8. आवेदक के द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशन का दिनांक :— आवेदक द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र *"राष्ट्रीय सहारा" में दिनांक 31.08 2022"* को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है।

9. आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निस्तारण सम्बन्धी आख्या :—स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त तथा निरीक्षण दिनांक तक सम्बन्धित कार्यालयों में किसी भी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

10. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण दिनांक :— दिनांक 27.09.2022।

11. प्रस्तावित संयत्र से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार प्लांट के डक स्थल से नीति में निर्धारित दूरी के सापेक्ष मौका/निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी :—

क्र0 सं0	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौक निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	अभ्युक्ति
01	सरकारी वन	100 मीटर	400 मीटर से अधिक	स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग, वन विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया तथा मौके पर उपलब्ध राजस्व तथा वन विभाग के अभिलेखानुसार दूरी अंकित की गयी है।
02	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से	लागू नही	लागू नही	
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रो हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से	500 मीटर	स्टोन क्रेशर हेतु प्रस्तावित स्थल जाखन नदी से 60 मी0 की दूरी पर स्थित है। उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 295/स0अ0—द्वितीय/सि0ख0दे0 दिनांक 29.12.2021 जो ग्राम प्रधान पंचायत माजरी ग्रान्ट विकासखण्ड डोईवाला जनपद देहरादून को सम्वोधित है, में उल्लिखित किया गया है फन वैली के अपस्ट्रीम में जाखन नदी Non Perennial प्रतीत होती है। (पत्र की प्रति संलग्न)	
03	(ख) Non Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गदेरा) के किनारे से	50 मीटर	60 मीटर की दूरी पर।	
03	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मन्दिर, मजिस्द, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर से अधिक।	
04	स्कूल, शैक्षिणक संस्थान, अस्पताल या नर्सिग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर से अधिक।	
05	आवादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर से अधिक।	

क्षेत्राधिकारी
बड़कोट रेंज
देहरादून वन प्रभाग

12. राजस्व विभाग की आख्या :-

(क) प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण :-

क्र0 स0	ग्राम	तहसील	खाता संख्या	खसरा संख्या	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	माजरीग्रान्ट	डोइवाला	2157	खसरा 1220ख, रकवा 0.1820 है0, खसरा 1223मि0 रकवा 0.0660 है0, खसरा 1225 रकवा 0.1500, खसरा संख्या 1226 रकबा 0.2820 है0, खसरा 1316ख रकवा 0.077 है0, खसरा 1326 रकबा 0.1700 कुल रकबा 0.927 है0	1 'क' सक्रमणीय भूमिधर	लक्ष्मी सिंह पुत्री जसपाल सिंह निवासी कुराली रूद्रप्रयाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है।	0.927-0.077 है0 = 0.850 है0	आवेदक द्वारा प्रस्तुत नोट्राईज्ड शपथ पत्र दिनांक 12.05.2022 के अनुसार स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदित भूमि किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक नही है।
			737	खसरा संख्या 1224 रकवा 0.1500, खसरा सं0 1233 रकवा 0.1210 कुल रकबा 0.2710 है0,		खातेदार लक्ष्मी सिंह पुत्री जसपाल सिंह निवासी पाला कुराली रूद्रप्रयाग द्वारा पट्टा विलेख दिनांक 04.07.2022	0.2710 है0	
			1417	खसरा सं0 1329 रकवा .1540 है0, 1330/.1210 कुल रकवा 0.2750 है0,			0.2750 है0,	
			2086	खसरा संख्या 1325ख रकवा 0.1540 है0			0.1540 है0	
						कुल रकवा	1.550है0	

(ख) :-आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर सम्बन्धित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का नोट्राईज्ड शपथ पत्र :-*आवेदक द्वारा सम्बन्धित भूस्वामी लक्ष्मी सिंह पुत्री जसपाल सिंह निवासी पाला कुराली रूद्रप्रयाग के साथ विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख संख्या IN-UK92815154174470U दिनांक 04.07.2022 प्रस्तुत किया गया है।*

(ग) :-आवेदित भूमि के बन्धक मुक्त होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र/नोट्राईज्ड शपथ पत्र :- संलग्न है।

(घ) :-प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एंव भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी :- वर्तमान में प्रभावित नहीं हैं। अनुज्ञा समय-समय पर मा0 न्यायालय/राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के आदेशो के अधीन रहेगी।

13. वन विभाग की आख्या :-

(क) प्रस्तावित प्लांट की सरकारी वन/आरक्षित वन से दूरी :- 400 मी0 की अधिक दूरी पर

(ख) प्रस्तावित प्लांट की नेशनल पार्क/सेंचुरी से दूरी :- 10 किलोमीटर से अधिक की हवाई दूरी पर है।

(ग) प्रस्तावित प्लांट स्थल पर विद्यमान वृक्षों का प्रकार व संख्या :- प्रस्तावित स्थल वृक्ष विहीन क्षेत्र है।

वन क्षेत्राधिकारी
बड़कोट रेंज
देहरादून वन प्रभाग

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेश से प्रभावित
होने या ना होने के सम्बन्ध में टिप्पणी :– प्रस्तावित क्षेत्र भारत सरकार के नोटिफेशन संख्या *S.0.923(E)* दिनांक *06.10.1988* में
दिये गये प्राविधानानुसार दून वैली के अन्तर्गत पडता है।

14. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :–

(क) :– नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 09 (क) के अनुसार प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है0 मे)
:– वर्तमान में प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर,स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर
प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रैडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 में मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल कुल *0.75* है0 निर्धारित
है। आवेदक द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु कुल 1.6270 है0 भूमि पर आवेदन किया गया है, परन्तु मौका निरीक्षण के
दौरान खसरा संख्या 1316ख रकबा 0.077 है0 एक सहत खण्ड में होने के कारण पृथक किये जाने से कुल रकबा 1.550है0
भूमि स्टोन क्रेशर हेतु उपयुक्त पायी गयी है, जो नीति के अनुकूल है।

(ख) :–प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट परिसर में प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (टन मे) :– आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट
रिपोर्ट के अनुसार एक समय में कुल 10,80,000 टन उपखनिज का भण्डारण किया जा सकता है।

(ग) :– नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 09 (घ) के अनुसार एक समय में भण्डारण क्षमता (टन में) :–आवेदक द्वारा आवेदन
पत्र में उल्लिखित प्लांट की क्षमता 200 टन प्रतिघण्टा के अनुसार नीति के बिन्दु संख्या 09 (घ) के अनुसार प्लांट की वार्षिक
भण्डारण क्षमता (200X10X360) कुल 7,20,000 टन आंगणित होती है।

(घ) :–नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 09 (ड) के अनुसार प्लांट की वर्षिक क्रसिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में) :– आवेदक
द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार एक समय में कुल 10,80,000 टन उपखनिज का भण्डारण किया जा सकता है।

**2. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल के स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के सम्बन्ध में
टिप्पणी :–**प्लान्ट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा नोट्राईज्ड स्टाम्प पेपर संख्या
IN-UK00923581561164U दिनांक 18.08.2022 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि *"यह कि
शपथकर्ता उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत खनिज पट्टा जैसे गढवाल मण्डल विकास निगम, रीवत ट्रेनिंग, निजी पट्टा
निगम व शासन द्वारा स्वीकृत पट्टे आदि से कच्चे माल की आपूर्ति करेगा ।"*

**3. (क) आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की आपत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित की
गयी है अथवा नही के सम्बन्ध में टिप्पणी :–**आवेदक द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र *"राष्ट्रीय
सहारा मे दिनांक 31.08.2022"* को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है।

**(ख) आवेदक द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था द्वारा कार्यालय में आपत्ति प्राप्त हुयी है अथवा
नही, यदि आपत्ति प्राप्त हुयी है तो उस पर जन सुनवाई की गयी है अथवा नही,यदि की गयी है तो जन सुनवाई का दिनांक
व लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में टिप्पणी** :–स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के
उपरान्त व निरीक्षण दिनांक तक इस कार्यालय में किसी भी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई
है।

4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट डक स्थल के जी0पी0एस0 कोर्डिनेद्स :– N 30^{0} 08'42.45'' तथा E 78^{0}
09'46.84'' है।

**5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व में खनन पट्टा/भण्डारणों मे अर्थदण्ड तो आरोपित नही है,यदि
है तो पूर्ण विवरण :–**कार्यालय अभिलेखानुसार प्रस्तावित स्टोन क्रेशर के आवेदक के नाम जनपद देहरादून में वर्तमान में न ही
कोई खनन पट्टा/भण्डारण स्वीकृत है तथा न ही कोई अर्थदण्ड अधिरोपित है।

~~वन~~ क्षेत्राधिकारी
बड़कोट रेंज
देहरादून वन प्रभाग

6. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेश से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी :– वर्तमान में प्रभावित नहीं हैं। अनुज्ञा समय–समय पर मा0 न्यायालय/राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के आदेशो के अधीन रहेगी।

7. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी :– प्रस्तावित स्थल मौके पर समतल है तथा स्टोन क्रेशर प्लान्ट की स्थापना/संचालन हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।

8. अन्य कोई अभिलेख/शर्ते, यदि आवश्यक हो :–स्टोन क्रेशर की स्वीकृति/स्थापना के उपरान्त आवेदक द्वारा निम्न शर्तो का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

1. आवेदक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख यदि गलत पाये जाते है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होंने की दशा में प्लांट की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी,जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 1874/VII-I/2021/158 ख–04 टीसी दिनांक 10 नवम्बर,2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली,2021 में उल्लिखित समस्त शतो/प्रतिबन्धो का अनुपालन किया जाना होगा।
4. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 08(1) के अनुसार उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish)तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 12 के प्राविधानुसार 200 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र हेतु आवेदन/अनुज्ञा शुल्क की धनराशि रू0 10.00 लाख निर्धारित है। वर्तमान में आवेदक द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदन शुल्क के रूप में स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु सख्या 04 के प्राविधानानुसार आवेदन शुल्क रू0 10,000/–की धनराशि ई–चालान संख्या 08530722E0057483 दिनांक 26.07.2022 के माध्यम निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा की गयी है तथा आवेदक द्वारा अवशेष अनुज्ञा शुल्क रू0 22,00,000 (रू0 बाईस लाख मात्र) को धनराशि को प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त/ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
6. स्टोन क्रेशर हेतु प्रस्तावित स्थल के अन्तर्गत डग प्वांइट से 50 मीटर से अधिक दूरी पर हाईटेशन बिजली का पोल व लाईन जा रही है तथा प्रस्तावित स्थल के मध्य दो सिंचाई के गूल नहर स्थित है, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागो से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अति आवश्यक होगा।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्टोन क्रेशर हेतु आवेदित स्थल दून वैली नोटिफिकेशन दिनांक 01 फरवरी, 1989 द्वारा अधिसूचित दून वैली क्षेत्रान्तर्गत स्थित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के पत्र संख्या B-29012/ESS(CPA)/2015-16 दिनांक 07 मार्च,2016 द्वारा निर्देशित उद्योगो के श्रेणीवार विभाजन में स्टोन क्रेशरों को नारंगी श्रेणी में (Pollution Index-50 में अंकित होने के कारण) अंकित किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.01.2020 द्वारा लाल, नारंगी, हरित तथा सफेद श्रेणी के उद्योगों के वर्गीकरण को दून घाटी अधिसूचना में प्रतिस्थापित कर दिये जाने के फलस्वरूप दून घाटी में राज्य स्तर पर गठित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर नारंगी श्रेणी के उद्योगो, जिसमें स्टोन क्रेशर भी सम्मिलित है, की स्थापना की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रावधान है, परन्तु आवेदक द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु राज्य स्तर पर गठित

~~वन~~ क्षेत्राधिकारी
बड़कोट रेंज
देहरादून वन प्रभाग

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति अद्यतन प्राप्त नही की गयी है। यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि वर्तमान में राज्य में राज्य स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) की समिति गठित नही है ।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति :–उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1875/VII-A-I/2021–03(101)/2021 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के प्राविधानानुसार आवेदक श्री बालाजी स्टोन क्रेशर प्रो0 श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह धीमान, श्रीमती पुष्पा बुटोला एवं श्री मोहित बुटोला निवासी द्वितीय फ्लोर गुरुकृपा कॉम्पलैक्स न्यू रोड ऑपोजिट एम0के0पी0 कालेज देहरादून को तहसील डोईवाला के ग्राम माजरीग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख, कुल 1.550 है0 भूमि पर 10 वर्ष की अवधि हेतु 200 टन प्रतिघण्टा क्षमता का स्टोन क्रेशर की स्थापना एवं प्लांट परिसर में कुल 10,80,000 टन उपखनिज भण्डारण क्षमता की अनुज्ञा हेतु आवेदित स्थल नीति मे निर्धारित मानकों के अनुरूप/उचित दूरी पर स्थित होने तथापि आवेदक द्वारा *"राज्य स्तर पर गठित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति अद्यतन प्राप्त न किये जाने"* के दृष्टिगत गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्णयार्थ सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक
तहसील डोईवाला।

खनिज मोहर्रिर
तहसील डोईवाला।

प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि
वन विभाग
वन क्षेत्राधिकारी
बड़कोट रेंज
देहरादून वन प्रभाग

प्रभारी जिला खान अधिकारी/सर्वेक्षक
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
देहरादून
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून

तहसीलदार
डोईवाला।

महोदय, Ex En की Report के उपरान्त निर्णय लिया जाना उचित है।
उपजिलाधिकारी
डोईवाला।
28/1/25

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एचओ/सा0–183–438/2023/456

दिनांक :– 03.07.2023

स्पीड पोस्ट/ई–मेल द्वारा

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय,
भोपालपानी, थानो रोड, देहरादून।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
क्रमांक 2582
दिनांक 06/07/23
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय :– मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट पिटिशन (PIL) सं0–168/2019 देवेन्द्र सिंह अधिकारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 01.03.2023 एवं 28.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत होंवे कि राज्य बोर्ड द्वारा वर्तमान तक 72 स्टोन क्रेशरों की निरीक्षण आख्या प्रेषित की जा चुकी है। उक्त क्रम में निम्नलिखित 03 स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का निरीक्षण पूर्ण कर लिया गया है :–

1. मै0 जगेन्द्र सिंह राणा स्टोन क्रेशर, ग्राम–भोंटी, तहसील–बड़कोट, जिला–उत्तरकाशी।
2. मै0 श्री बालाजी स्टोन क्रेशर, ग्राम–माजरीग्रांट, तहसील–डोईवाला, जिला–देहरादून।
3. मै0 अरिदियो स्टोन क्रेशर एल.एल.पी, ग्राम–थापला, तहसील–चौकुटिया, जिला–अल्मोड़ा।

उपरोक्त 03 स्टोन क्रेशरों/स्क्रीनिंग प्लांट की निरीक्षण आख्या संलग्नकों सहित अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित् है।

संलग्नक :– यथोपरि

A.D
6/7/23

C.AO/AO
06-7-23

भवदीय

(एस0के0 पट्टनायक)
सदस्य सचिव

10.	Industry/Unit Capacity (Tons/MT Per Day)	:	200 TPH
11.	Total operational period in a week	:	Unit not installed
12.	Machinery and Equipment engaged	:	Unit not installed
13.	Source of Electricity and Load Capacity	:	Not obtained connection
14.	Total Manpower/Labour Engaged	:	No details as the unit is not installed.
15.	Solid/Plastic Waste generated per day	:	No details as the unit is not installed.
16.	Water usage/ Day and Source	:	No details as the unit is not installed.
17.	Whether permission of CGWA	:	No details as the unit is not installed.
18.	Whether Environmental Clearance granted (If yes then date)	:	Not obtained
19.	6 Monthly EC compliance submitted (Yes/No):	:	No
20.	Date of CTO granted	:	Not obtained
21.	Validity date of CTO	:	As per point 20.
22.	Details of fine imposed by mining/revenue authorities if any	:	No
23.	Details of EC imposed if any	:	No
24.	Any other Site-Specific Detail	:	Area falls within the territorial jurisdiction of Doon Valley notification 1989.
	Inspection Note/Observation	:	1. Earlier joint inspection was conducted by the officials from the mining, forest and revenue department on dated 27.09.2022. 2. The google earth map showing the details around the proposed location is also enclosed for the reference. 3. 765000-volt Koteshwar – Meerut high tension line (Tower) is present at distance of around 40 mtr from the location of proposed raw material feeder point. 4. The distance of all the related parameters may also be verified from the concerning departments.

26/06/2023

(Amit Pokhriyal)
Environment Engineer

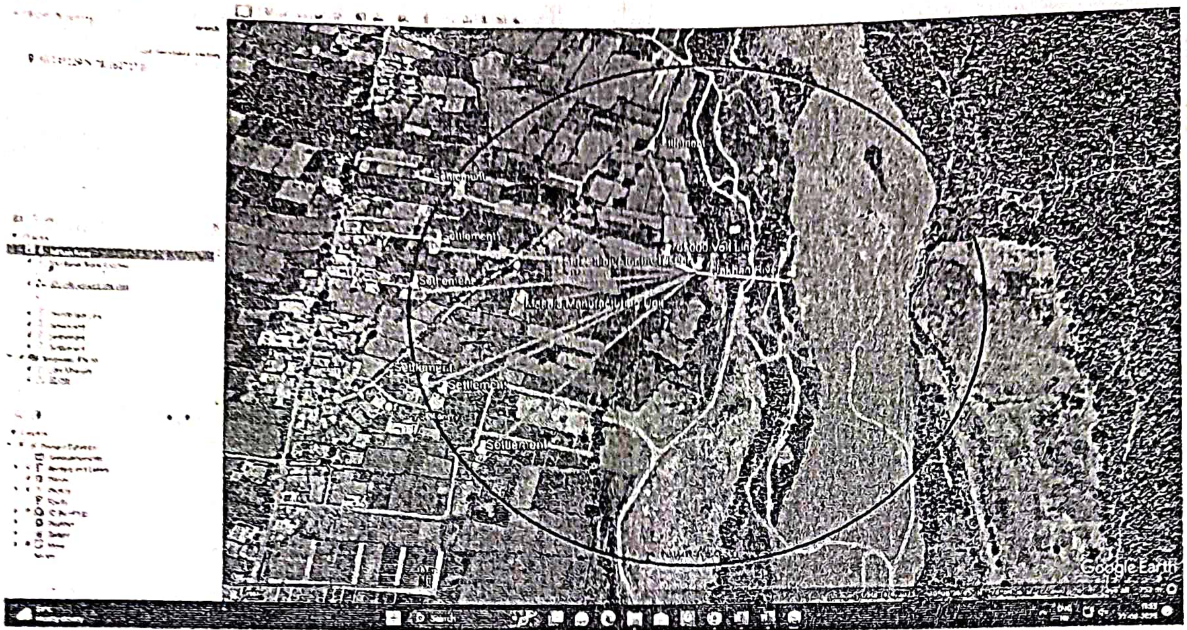
Settlement
Google Earth

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

संख्याः 521 /स्टो0क्रे0/भू0खनि0ई0/देदून/2023–24 दिनांक 09 मई 2023

विषयः आवेदक श्री बालाजी स्टोन क्रेशर, नि0 द्वितीय फ्लोर गुरूकृपा कॉम्प्लेक्स न्यू रोड़, अपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज, जिला देहरादून के द्वारा तहसील डोईवाला के ग्राम माजरीग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 1.6270 है0 भूमि मे 200 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर एवं प्लांट परिसर मे कुल 10,80,000 टन के उपखनिज भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या 24/खनिज–अनु0/2022–2023, दिनांक 06 अप्रैल 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आवेदक श्री बालाजी स्टोन क्रेशर, नि0 द्वितीय फ्लोर गुरूकृपा कॉम्प्लेक्स न्यू रोड़, अपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज, जिला देहरादून के द्वारा तहसील डोईवाला के ग्राम माजरीग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 1224, 1233, 1223, 1226, 1220ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख, कुल रकबा 1.6270 है0 भूमि मे 200 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर एवं प्लांट परिसर मे कुल 10,80,000 टन के उपखनिज भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के पत्र संख्या 621/VII–A–1/2022/9 (222)/2019, दिनांक 17 अप्रैल 2023 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल मे योजित जनहित याचिका संख्या 168/2019 "देवेन्द्र सिंह अधिकारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" मे मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2023 को पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 द्वारा आतिथि तक स्वीकृत अवशेष स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट्स तथा विभाग स्तर पर विचाराधीन ऐसे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट्स के प्रस्तावों, जिनमें उपलब्ध संयुक्त निरीक्षण आख्या मे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि सम्मिलित नही है, मे उत्तराखण्ड पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखण्ड के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित निरीक्षण कराते हुए उत्तराखण्ड पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखण्ड की संस्तुति/अनापत्ति प्राप्त करते हुए कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः विषयगत प्रकरण मे उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के प्रावधानानुसार कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या 24/खनिज–अनु0/2022–2023, दिनांक 06 अप्रैल 2023 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदित स्थल का अपेक्षित निरीक्षण कराते हुए संस्तुति/अनापत्ति निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि तद्नुसार आख्या शासन को प्रेषित की जा सके।

__संलग्नक : यथोक्त।__

भवदीय
09/05/2023
(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक।

7/5/2023

पृष्ठांक : 521 **/स्टो0क्रे0/भू0खनि0ई0/देदून/2023–24**, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. प्रभारी जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयगत प्रकरण मे सम्पूर्ण वांछित अभिलेख निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. **श्री बालाजी स्टोन क्रेशर, नि0 द्वितीय फ्लोर गुरूकृपा कॉप्लेक्स न्यू रोड़, अपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज, जिला देहरादून।**

09/05/2023
(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक।

a/c

सलग्नक–6
(Annexure-6)

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 2881 /VII-A-1/2023–03(24)/2023
देहरादून,दिनांकः 04 दिसम्बर, 2023

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं0 4202/खनन/भू0खनि0नि0/स्टो0के0प्ला0/दे0दून/2023–24, दिनांक 08.10.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में श्री बालाजी स्टोन क्रेशर, नि0 द्वितीय फ्लोर गुरूकृपा कॉम्पलैक्स, न्यू रोड़, अपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज, जिला देहरादून के पक्ष मे तहसील डोईवाला के ग्राम माजरीग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख, कुल रकबा 1.550 है0 भूमि में 200 टन प्रति घंटा क्षमता का स्टोन क्रेशर प्लांट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली मे डायरी संख्या 24713/2023 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम दीपक कुमार व अन्य, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका सं० 210/2021 "प्रेम सिंह रावत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य", मा0 एन0जी0टी0 में योजित में अपील संख्या 39/2022 "दीपक कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" एवं मूल आवेदन संख्या 702/2022 "दीपक कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. आवेदित स्थल दून वैली नोटिफिकेशन दिनांक 01 फरवरी 1989 द्वारा अधिसूचित दूनी वैली क्षेत्रान्तर्गत स्थित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या B-29012/ESS (CPA)/2015-16 दिनांक 07 मार्च 2016 द्वारा निर्देशित उद्योगों को श्रेणीवार विभाजन मे स्टोन क्रेशरों को नारंगी श्रेणी में **(pollution index-50** अंकित होने के कारण) अंकित किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 06 जनवरी 2020 द्वारा लाल, नारंगी, हरित तथा सफेद श्रेणी के उद्योगों के वर्गीकरण को दून घाटी अधिसूचना मे प्रतिस्थापित कर दिये जाने के फलस्वरूप दून घाटी मे राज्य स्तर पर गठित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने पर नारंगी श्रेणी के उद्योगों, जिसमें स्टोन क्रेशर भी सम्मिलित हैं, की स्थापना की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रश्नगत क्षेत्र में स्टोन क्रेशर प्लांट की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण किये जाने से पूर्व अनिवार्यतः पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा,उसी के उपरांत ही स्टोन क्रेशर प्लांट की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2. स्टोन क्रेशर हेतु प्रस्तावित स्थल के समीप हाईटेंशन बिजली की लाईन होने तथा प्रस्तावित स्थल के मध्य सिंचाई विभाग की गूल स्थित होने के दृष्टिगत उक्त प्लांट संचालन से पूर्व सिंचाई विभाग एवं विद्युत विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
3. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर,मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या

14 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 09 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

4. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 8 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा। स्टोन क्रेशर प्लांट की स्थापना/संचालन से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

5. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर,मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 8 (2) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–55 दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा0 न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

6. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 11 (1) के अनुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता का निर्धारण किया जाना होगा।

7. प्लांट स्वामी द्वारा अवशेष शुल्क रू0 22.00 लाख (बाईस लाख मात्र) प्लांट स्वीकृति के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।

8. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 38 के अनुसार स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट को प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालक को उत्पादित/ विक्रय की गयी मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

9. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 39 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

10. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 39 (2) के अनुसार यदि स्टोन क्रेशर प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के सबंध में निर्णय लिया जायेगा।

11. स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 39 (3) के अनुसार स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं

खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

12. प्लांट स्वामी द्वारा वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2021 के प्रावधानानुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति तथा अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी कार्यालय, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, देहरादून में प्रस्तुत किया जाना होगा।
13. प्लांट स्वामी द्वारा शासन से स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात् एक माह के भीतर भूमि को बन्धक मुक्त कराया जाना होगा अन्यथा की दशा में प्लांट स्वामी का ई–रवन्ना पोर्टल नहीं खोला जायेगा।
14. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार प्लांट में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।
15. प्लांट स्वामी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

संख्याः 2881 (1)/VII-A-1/2023–03(24)/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. श्री बालाजी स्टोन क्रेशर, नि0 द्वितीय फ्लोर गुरूकृपा कॉम्पलैक्स, न्यू रोड़, अपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज, जिला देहरादून
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या /VII-A-1/2023–03(24)2023
देहरादूनः दिनांकः 12 दिसम्बर, 2023

: कार्यालय ज्ञाप :

जनपद देहरादून की तहसील डोईवाला के ग्राम माजरीग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख, कुल रकबा 1.550 है0 भूमि में श्री बालाजी स्टोन क्रेशर, नि0 द्वितीय फ्लोर गुरूकृपा कॉम्पलैक्स, न्यू रोड़, अपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज, जनपद देहरादून के पक्ष में कार्यालय ज्ञाप संख्या 2881/VII-I/2023–03(24)2023, दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 द्वारा स्वीकृत 200 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर प्लांट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा की शर्त संख्या–02 में हाईटेंशन बिजली की लाईन के सम्बन्ध में उल्लिखित विद्युत विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 4605, दिनांक 06.12.2023 एवं आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 05.12.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्य/स्थिति के आलोक में भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 की संगत धाराओं में प्राविधानित नियमों के दृष्टिगत उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.12.2023 में आंशिक संशोधन करते हुये संगत कार्यालय ज्ञाप की शर्त संख्या–2 को निम्नवत संशोधित/परिमार्जित किया जाता है:–

"2. आवेदक द्वारा प्लांट स्थल मे स्थित हाईटेंशन बिजली लाईन के सम्बन्ध में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 में उल्लिखित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रस्तावित स्थल के मध्य सिंचाई विभाग की गूल स्थित होने के दृष्टिगत उक्त प्लांट संचालन से पूर्व सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना होगा।

2. उपरोक्तानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या–2881, दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 में किये गये संशोधनोपरान्त शर्त संख्या–02 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

संख्या 2964(1)/VII-A-1/2022–03(24)2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
4. श्री बालाजी स्टोन क्रेशर, नि0 द्वितीय फ्लोर गुरूकृपा कॉम्पलैक्स, न्यू रोड़, अपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज, जिला देहरादून
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(हनुमान प्रसाद तिवारी)
अपर सचिव

सत्यमेव जयते

IN-UK91114327886875V

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UK91114327886875V**
Certificate Issued Date	:	05-Dec-2023 05:34 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1316604/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK131660488823869628895V
Purchased by	:	SHREE BALAJI STONE CRUSHER THR REP MOHIT BATOLA
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SHREE BALAJI STONE CRUSHER THR REP MOHIT BATOLA
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	SHREE BALAJI STONE CRUSHER THR REP MOHIT BATOLA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

सत्यमेव जयते

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

AKASH GUPTA Stamp Vendor License No. 280 Court Compound, Dehradun

IN-UK91114327886875V

Please write or type below this line

शपथ पत्र

समक्ष :– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।

शपथपत्र ओर से श्री बालाजी स्टोन क्रेशर द्वारा प्रतिनिधि मोहित बटोला पुत्र स्व0 आर0एस0 बटोला निवासी ग्राम मियांवाला, पो0ओ0 हर्रावाला, देहरादून।

................शपथकर्ता

मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूं:–

1. यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता सत्य एवं सही है।
2. यह कि शपथकर्ता को उक्त शासनादेश के क्रम में तहसील डोईवाला के ग्राम माजरी ग्रान्ट में खसरा नं0 1224 आदि कुल रकबा 1.550 है0 भूमि में 200 टन प्रति घण्टा क्षमता का स्टोन क्रेशर प्लान्ट की स्थापना तथा प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान की गई है, इस सम्बन्ध में उक्त कार्यालय ज्ञाप के पृष्ठ सं0 1 की चरण सं0 2 में वर्णित शर्त का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त शर्त में यह कथन है कि यदि स्टोन क्रेशर हेतु प्रस्तावित स्थल के समीप हाईटेंशन बिजली की लाईन होने पर विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
3. यह कि इस सम्बन्ध में शपथकर्ता अवगत कराना चाहता है कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 की धारा 80 के अनुसार कोई भी भवन अथवा लम्बे प्रजाति के पेड़/आवेशित कन्डक्टर (तार) कम से कम 11 मीटर की क्षैतिज दूरी पर सुरक्षित है एवं इसी क्रम में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68 एवं केन्द्रीय विद्युत

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(02)2002
GOVT.OF UTTARAKHAND (INDIA)

प्राधिकरण के विद्युत आपूर्ति तथा सुरक्षा नियम 60 के अंतर्गत लाईन के नीचे व उपरोक्त सुरक्षित दूरी के अंदर किसी भी प्रकार का भवन निर्माण अथवा लम्बे प्रजाति के वृक्षों को लगाना प्रतिबन्धित है एवं चूंकि स्थल पर प्रस्तावित निर्माण की दूरी उक्त हाईटेंशन बिजली लाइन से मानकों के अनुरूप 11 मीटर से अधिक है, जिस कारण उक्त शर्त का प्रभाव शपथकर्ता पर लागू नहीं होता, जिस कारण उक्त शर्त में वांछित अनुमति आवश्यक नहीं है।

4. यह कि उपरोक्त वर्णित शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त नियम में शिथिलता प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

......शपथकर्ता

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.1...
GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA

मैं उपरोक्त शपथकर्ता आज दिनांक 05.12.2023 देहरादून में यह पुष्टि करता हूँ कि लेख उपरोक्त शपथ पत्र मेरे निजी ज्ञान व जानकारी में सत्य एवं सही है।

.....शपथकर्ता

This affidavit is sworn before me by
Shri.....Mohit Bajaj.....
who is identified by Shri ....
at Dehradun on......5/12/2023

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary Dehradun

सेल्फ-7

Annexure -7

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, 'गौरादेवी पर्यावरण भवन, तृतीय तल, 46–बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून'
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गठित)
दूरभाष: 0135–2976159
ईमेल: selaa.seac.uk@gmail.com

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY UTTARAKHAND

State Level Environment Impact Assessment Authority, "Gauradevi Paryavaran Bhawan, Third Floor, 46-B I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehradun"
(Constituted by Ministry of Environment, Forests and Climate Change Government of India.)
Phone No-0135–2976159
Email- selaa.seac.uk@gmail.com

E.C. No- 153 -09(91)/2023

Dated- 30-01-2024

To,

M/s Shree Balaji Stone Crusher by Shri Prakash Singh Dhiman (Partner) Khasra No. 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220 Kha, 1326, 1329, 1330, 1325 Kha Village-Majiri Grant, Tehsil-Doiwala, District- Dehradun.

Sub: Regarding Environment Clearance for Proposed establishment of 200 TPH Stone Crusher Plant along with 500 KVA Green Insulated DG set at Khasra No. 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220 Kha, 1326, 1329, 1330, 1325 Kha Village-Majiri Grant, Tehsil-Doiwala, District- Dehradun.

Kindly refer to your online proposal No SIA/UK/INFRA2/454778/2023 submitted to SEIAA Uttarakhand regarding aforementioned subject. The details about the project site and proposal for EC as per the documents submitted by the project proponent is as under:

S.No	Parameters	Description
1.	Products and quantity	RBM 200 TPH
2.	Estimated Project Cost	3.53Cr.
3.	Total Plot Area	Total area – 1.6270 Hectare. Project Area – 1.5500 Hectare.
4.	Proposed Green Area	
5.	Proposed Green Area	5115Sq. m
6.	Fresh Water Consumption	7.74KLD
7.	Fresh Water Source	Borewell
8.	Power Demand	400 KVA
9.	Power back up	500 KVA
10.	Wastewater Management	Sewage – 0.20 KLD (Disposed through Septic Tank/Soak Pit).
11.	Steam and heating system	Nil
12.	Fuel Consumption	100 LPH(DG set)

Land use details:

S.No	Parameters	Description
1.	Ground Coverage	2864.40Sq. m.
2.	Road and Paved area	961.90Sq. m.
3.	Parking area	1219.60Sq. m.
4.	Green Area	5115.00 Sq. m.
5.	Other	5339.10Sq. m.
	Total Plot Area	15500.00 Sq. m.

Raw material details:

S.No	Major Raw Material	Avg. consumption per day	Source	Mode of Transport
1.	RBM	2000 TPD	Open Market	Road

Domestic Water Demand and Effluent Generation:

S.No.	Uses	Population/ area	Consumption rate (LPCD)	Water requirement [KLD]	Domestic Effluent [KLD]
1	Domestic	8	20	0.16	0.12

	uses				
2	Flushing water	8	10	0.08	0.08
3	Greenbelt	5115 Sq. m		2.00	0.00
	Total			2.24	0.20

Industrial Water Demand and Effluent Generation:

S.No.	Uses	Water requirement [KLD]	Effluent Generation [KLD]
1	Stone Crusher(Washing& Sprinkling)	90.0	
	Total	90.0	

Solid waste details:

S.No.	Waste Detail	Quantity Generation	Utilization/Disposal
1	Empty barrels /liners/containers contaminated with hazardous wastes/ chemicals [Category 33.1]	10 Nos./Annum	Authorized recycler
2	Used Oil [Category 5.1]	0.1 MTPA	Authorized recycler

The SEAC during its meeting held on 8th January, 2024 had undertaken appraisal of the project. It has been found that the proposal is not classified under any schedule of EIA Notification 2006 requiring EC. But the project site being located within the territorial limits of Doon Valley, hence provisions of Doon Valley Notification, 1989 & 2020 (as amended from time to time) are applicable and the proposal is placed under **Orange category (B2)** requiring prior EC. After due examination of the relevant documents submitted by the project proponent and additional clarification furnished in response to its observations earlier, SEAC has recommended the grant of Environmental Clearance for the above project subject to compliance of the EMP and other stipulated conditions. SEIAA during its meeting dated 19th January, 2024 considered the above proposal based on the recommendation of SEAC. After due examination and deliberation, the SEIAA Uttarakhand hereby accords Environmental Clearance for the above project under category B-2 of EIA notification 2006 (as amended from time to time) **which shall remain subject to the out come of OAM NO. 702/2022 before Hon'ble NGT and subject to the strict compliance of the conditions mentioned below:-**

Pre Operation-

1) The project proponent should advertise with basic details at least in two widely circulated local newspapers, within seven (7) days of the receipt of the clearance letter informing that the project has been accorded Environmental Clearance by SEIAA Uttarakhand and a copy of the same be sent to the Regional Office of Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Govt of India located at 25 Subhash Road, Dehradun.
2) A copy of the Environmental Clearance letter shall be sent by the proponent to the concerned Panchayat.
3) Consent to Establish/Consent to Operate shall be obtained from Uttarakhand Pollution Control Board under relevant provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 before starting any construction activity at the site.
4) There shall be no felling of trees at the construction site and further no damage to the local vegetation shall be done. The installation of equipment/machineries shall be done within the vacant space available in the plant premises.
5) During any type of construction in the existing land area, the topsoil excavated shall be used for backfilling/ landscape development/ green belt development. The same shall not be disposed of outside the boundaries of project site without approval of Competent Authority.
6) All stacking and loading areas should be provided with proper garland drains equipped with baffles to prevent runoff from the site to enter any adjoining water body. Construction spoils including bituminous materials must not be allowed to contaminate watercourse and dumpsites as these may leach into ground water.
7) A five meter width area along the periphery should be kept for plantation and its approach. No stacking material should be done within this area.
8) A separate Environmental Management Cell shall be set up to carry out the Environmental Management and Monitoring functions.
9) **No construction shall be done below high tension line.**

During Operation Phase-

1) The Project proponent has informed in his presentation that the actual distance of the project site from the bank of non-perennial river is 75 meters & no other perennial river falls within 500 meters of the said project.
2) Govt. of Uttarakhand has issued G.O. in favour of this project vide its letter No- 2881 dated-04.12.2023 which is valid for 10 years, the present E.C. will remain co-terminus with the duration of the Govt. G.O. In future if extension/renewal is provided by the Govt. then the current E.C. will be co-terminus with the extended/renewed G.O.
3) Project Proponent shall ensure to increase numbers of toilets for workers upto 5 Nos.

4) Project Proponent shall ensure to arrange the site visit of SEAC sub-committee before grant of Consent to Operate.
5) Project Proponent shall submit document pertaining to land use change along with the six monthly compliance report.
6) Project Proponent shall ensure compliance of CER activity through any Govt. Organization. Action plan with budgetary provisions shall be submitted within three months to this office.
7) The Project proponent has assured that he will use new and most advanced machineries, which are efficient to minimize air and noise pollution.
8) The Project proponent shall ensure 3 layered plantation on the periphery of the premises.
9) The Project proponent shall install Solar lights in the adjoining villages in consultation with local Authorities/Forest officials.
10) The unit should properly provide covered processing area for control of fugitive emission.
11) The unit should provide ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust as per State Policy, 2021.
12) The unit should provide pucca drain for wastewater conveyance to settling tank.
13) The unit shall provide proper overflow system in settling tank.
14) The unit shall provide proper water sprinklers with sufficient pressure as per State Policy, 2021.
15) The unit shall install Interlock system for air pollution control device and process.
16) The unit shall expedite to construct brick wall of sufficient height. The unit should provide adequate green belt as per State Policy 2021. Till the adequate growth of plants, the unit may provide other alterative arrangement for fugitive emission control.
17) The unit shall provide complete metaled road as per State Policy, 2021.
18) The unit shall maintain proper log book of fresh water consumption.
19) Project Proponent shall install solar lights on the periphery of its premises.
20) Regular health checkup of workers by recognized medical practitioners shall be ensured by the Project proponent and shall submit report to SEIAA along with six monthly compliance report.
21) The Project proponent will install advanced dust suppression system at the project site.
22) The Project Proponent shall develop multi layered green belt around the periphery of the plant. The green belt thus developed should be on more than 10 percent of the project area. The project proponent will develop additional green belt in the surrounding areas to complete the requirement of 33% green belt of the project area. The project proponent shall plant fast growing species such as bamboo in the premises. **Shrubs shall be planted below high tension line.**
23) The Project proponent shall plant fast growing species on both the sides of road connecting from the project premises to main road.
24) The project proponent shall submit the NoC from CGWB for utilization of ground water.
25) The project proponent shall undertake rainwater harvesting activities in the surrounding villages preferably in the schools, primary health centers in consultation with local authorities.
26) The Proponent shall ensure installation of water sprinklers within the premises to prevent dust hazards.
27) All the vehicles being used for transportation from the Stone Crusher Plant should have a valid pollution under control certificate.
28) The Project proponent shall submit dust emission dispersion modeling to SEIAA on yearly basis from Government recognized institution/NABET approved consultant.
29) The project proponent shall ensure maintenance of the approach road.
30) No further expansion or modifications in the plan shall be carried out without the prior approval of competent authority.
31) The Project Authority shall strictly comply with provisions of Doon Valley Notification, 1989 & 2020.
32) The manufacturing process shall be carried out in closed atmosphere without having any air emissions. However, air emissions from DG set should comply with CPCB norms by designing stack of adequate height.
33) The project proponent shall install advanced dust suppression system and advance dust collecting devices at the project site as per state policy 2021.
34) The boundary of the project area shall be at least 20 feet height.
35) The proponent shall ensure installation of water sprinklers within the premises to prevent dust hazard.
36) The material shall be kept at the south side of the plot as given in the map.
37) All the vehicles being used for transportation from the stone crushing plant should have pollution under control certificate
38) Water sprinkling shall be done on the approach road also.
39) The project proponent shall submit dust emission dispersion modeling to SEIAA on yearly basis from Government recognized institution/NABET approved consultant
40) The National Ambient Air Quality emission standards issued by to Ministry vide G.S.R. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied
41) No waste water shall be discharged outside the plant boundary and 'Zero Discharge' shall be strictly adhered to permissible standards.
42) Total fresh water requirement shall not exceed the proposed quantity, Prior permission shall be obtained from CGWA in this regard.

43) The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water Use of water saving devices/fixtures low flow flushing system for water.
44) Rainwater harvesting for surface run off shall be ensured. Before recharging the surface run off, pretreatment must be done to remove suspended matter, oil and other particles.
45) The project proponent shall submit half yearly report (preferably in the month of June and December) pertaining to ground water quality which will be monitored and generated by a NABL approved laboratory having scope of it.
46) The project proponent shall submit fort-nightly report pertaining to ambient air quality with geo tagged photographs of sampling which will be monitored and generated by a NABL approved laboratory having scope of it, this report will be submitted to SEIAA before 1st of every month to SEIAA.
47) Acoustic enclosures for DG set, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact.
48) The ambient noise levels should confirm to the standards prescribed under EP Act 1986
49) Noise abatement wall should be constructed towards village side.
50) All the hazardous residue and wastes arising from units shall be either sent to TSDF for land filling or for incineration. Hazardous chemicals shall be stored in tanks in tank farms, drums, carboys etc.
51) The project authorities shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storages and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989, (as amended from time to time). Authorization from the UKPCB shall be obtained for collection, treatment, storage, and disposal of hazardous wastes.
52) The DG sets shall use approved fuel as approved by UKPCB (preferably low sulphur Diesel) and should have stack height complying with CPCB norms. DG set should be operated only during power failure in emergency situation.
53) The vehicles used at the factory site should comply with emission norms and noise level standards of CPCB and State Transport Department. They should be operated only during non-peak hours.
54) All necessary efforts shall be made to ensure safety and hygiene of workforce. First Aid facility shall be established and trained manpower be engaged to deal with emergency cases. The labour force engaged on site shall be screened for health from time to time.
55) Adequate drinking water and sanitation facility shall be provided on site for the workforce. Provision shall be made for supply of domestic fuel to the workforce so that they do not remain dependent on adjoining forest areas for fuel wood.
56) Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis.
57) The fire safety arrangements and emergency exit plan should be as per the norms of the concerned regulatory authority/agency.
58) Solar panel/energy should be installed in the premises.
59) The project proponent shall install solar lights/rainwater harvesting in two surrounding villages preferably in the schools, primary health centers in consultation with local authorities from its CER budget this should be completed in first year. Action plan to be submitted to SEIAA with three months.
60) Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects. Pre- employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis.
61) Emergency preparedness plan based on risk assessment shall be made.
62) The project proponent shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of factory act.
63) Agreement with TSDF vendors shall be submitted.
64) This EC is conterminous with the LoI and land lease agreement.
65) During the school opening and closing time vehicle movement will be restricted.
66) Work can be done only in day time.
67) The Project proponent shall comply with the provisions contained in the ministry OM vide F.NO 22-65/2017-IAIII, dated 1st may 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
68) The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016 and the plastic waste (management) Rules 2016 shall be followed.
69) The project proponent shall abide by all commitments and recommendation made in the form– I, Pre-feasibility report/Environment Management Plan (EMP) and also during their presentation to the expert appraisal committee.
70) Any change in planning of the approved plan/site plan will leads to environment clearance void-ab initio and project proponent will have to seek fresh Environmental Clearance.
71) Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provision of Environment Protection Act 1986.
72) The ministry/SEIAA reserves the right to stipulate additional condition if necessary the project proponent/company in time bound manner shall implement these conditions.

73) The Ministry/SEIAA may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
74) The Regional office of the Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extent full cooperation to the officers (s) of the Regional office by furnishing the requisite data/information/monitoring reports.
75) The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of water Prevention & Control of Pollution) Act 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment Protection) Act, 1986, Hazardous and other wastes Rules,2016, and the Public Insurance Act 1991, along with their amendments and rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme court of India/High court of law relating to the subject matter.
76) The project proponent shall submit half yearly compliance report of stipulated conditions of Environment Clearance in soft copy through PARIVESH PORTAL given, link: https://parivesh.nic.in.The compliance report shall also be e mailed to the Regional Office in Dehradun in moef.ddn@gov.in
77) The project proponent shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations Guidelines and directions of Hon'ble Courts for the time being in force, as applicable to the project.
78) The above environmental safeguards shall be implemented in letter and spirit.
79) The SEIAA reserves the right to include additional safeguard measures, if found necessary and also to take action including revoking of the EC granted under provisions of EIA Notification 2006. This EC is being granted subject to compliance of Hon'ble Court Orders issued from time to time.
80) This Environmental Clearance (E.C.) is subject to obtaining clearance under the Wildlife (Protection) Act, 1972 from the competent Authority as may be applicable to this project.
81) The Project Proponent shall follow guidelines issued for Stone Crusher Plant by MoEF&CC, CPCB and UKPCB as amended from time to time.
82) If this ownership is transferred then fresh Environment Clearance is to be obtained under EIA notification dated 14.09.2006. However, no activity shall be undertaken till the Environment Clearance is transferred in his name and he is lawfully bound to comply with the conditions of the Environmental Clearance.
83) The Project Proponent shall follow directions/orders issued by Hon'ble High Court/NGT/ Supreme Court with respect to establishment of Stone Crusher Plant or on issues pertaining to pollution by Stone Crusher Plant.
84) The grant of this EC is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statuary obligations prescribed under any other law or any other instrument as force the sole and complete responsibility to comply with the conditions laid down in all other laws for the time being inforce, rests with the project proponent.
85) Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Your's Faithfully

(Dr. S.P. Subudhi)
Member Secretary,
SEIAA, Uttarakhand

No.- 153 09(91)/2023 dated- as above

Copy to following for information and necessary action:

1. APCCF, Regional office (Central) MoEFCC Govt of India, 25 Subhash Road, Dehradun.
2. Principal Secretary, Forests & Environment, Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. Director Industries, Geology & Mining Unit Govt of Uttarakhand Dehradun.
4. Directorate of Industries, Dehradun.
5. District Magistrate, Dehradun.
6. Member Secretary, UKPCB, IT Park Dehradun.
7. DFO Dehradun, Forest Division, Dehradun.
8. Guard File for uploading in Parivesh Website.

(Dr. S.P. Subudhi)
Member Secretary,
SEIAA, Uttarakhand

Signature Not Verified
Digitally Signed by: Dr S P Subudhi
Member Secretary, SEIAA
Date: 01/02/2024

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehra Dun
E-mail : roucppcb@gmail.com,
Phone No.-0135-3593200

UKPCB LiFE Lifestyle For Environment G20

यूकेपीसीबी/आरओडी/एनओसी/दे०दून०-32129 /2023-24/4519 -1811 दिनांक 18/01/24

REGD. POST

सेवा में,

M/s Shree Balaji Stone Crusher
Khasra No. 1224, 1233, 1225, 1226, 1220 Kha
Village Majri Grant, Tehsil Doiwala
Distt. Dehradun.

विषयः— पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु सहमति (Consent to Establish) पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र **Application-ID : 51491641 दिनांक 30-12-2023** का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है। अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सशर्त स्थापना हेतु सहमति पत्र निर्गत किया जाता है।

1. स्थापना हेतु सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है:—

(क) स्थल	:	**Khasra No. 1224, 1233, 1225, 1226, 1220 Kha, Village Majri Grant, Tehsil Doiwala Distt. Dehradun.**
(ख) उत्पादन	:	**Stone Crusher – Stone Aggregate Production 200 TPH**
(ग) मुख्य कच्चे माल	:	**River Bed Material etc.**
(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह	:	**Nil.**
(ङ.) प्रयुक्त ईधन	:	**Diesel for DG Set 500 KVA**

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापना हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्यक जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाये।
5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा 2.0 कि0ली0/दिन से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।
6. यह सहमति मात्र घरेलू उत्प्रवाह हेतु मान्य है। उद्योग से औद्योगिक उत्प्रवाह कदापि निस्तारित न किया जाये।
7. यह स्थापना हेतु सहमति पत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध है।
8. परिसर के चारों तरफ 15 फिट ऊँची बाउड्रीवॉल का निर्माण किया जाये तथा Stone Crusher Plant को सभी तरफ से कवर्ड किया जाये।
9. उद्योग परिसर एवं परिसर के बाहर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण करवा कर प्रत्येक 06 माह में रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करें।
10. उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये, कि परिवेशीय वायु गुणवता सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।

11. उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार निस्तारित किया जाये, कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे।
12. उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न होवें। प्रदूषण सम्बन्धी जन-शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापना हेतु सहमति पत्र निरस्त कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्यमी का होगा।
13. उद्योग में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपाय किये जायें तथा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
14. यह सहमति केवल Crushing & Screening प्रक्रिया द्वारा Stone Crusher – 200TPH के उत्पादन हेतु मान्य है। उद्योग में किसी प्रकार क्षमता परिवर्तन से पूर्व नियमानुसार सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
15. उद्योग में बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना क्षमता विस्तारीकरण/प्रक्रिया परिवर्तन कदापि न करें।
16. उद्योग में बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना डी०जी० सेट आदि की स्थापना न की जाये।
17. उद्योग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम –1986 में उल्लेखित समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करे।
18. उद्योग परिसर एवं परिसर से मुख्य सड़क तक पक्की सड़क का निर्माण किया जाये।
19. धूल जनित बिन्दुओं पर फव्वारों की स्थापना की जाये। जिनका संचालन अनवरत रूप से किया जाये।
20. बाउंड्रीवॉल के चारों तरफ सघन हरित पट्टिका विकसित की जाये।
21. यह सहमति मा० सर्वोच्च न्यायालय, मा० उच्च न्यायालय, मा० हरित अधिकरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देश/आदेशों के अधीन रहेगी।
22. **उद्योग स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, हॉटमिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति 2021में निहित प्राविधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें।**
23. **उद्योग को उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अनुज्ञा स्टोन क्रेशर नं0 2881(1)/VII-A-1/2023-03(24)/2023 dated 04-12-2023 का अनुपालन करना सुनिश्चित करे।**
24. **यह स्थापनार्थ सहमति मा0 हरित अधिकरण में योजित वाद संख्या मूल आवेदन 702/2022 दीपक कुमार बनाम उत्तराखंड सरकार एवं अन्य में आने वाले निर्णय के अधीन रहेगी।**
25- **उद्योग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना का कार्य प्रारम्भ करे।**

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापना हेतु सहमति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापना हेतु सहमति पत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनॉक 18.02.2024 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापना हेतु सहमति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

पृ0 सं0 एवं दिनॉक/उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि:— सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

सलग्नक -8

(Annexure-8)

महोदय

सलंग्न पत्रांक 387/ना॰ना (जॉच-स्टो॰क्रेशर) 2022-23 दिनांक 22/7/2022 कार्यालय उपजिलाधिकारी डोईवाला बाबत आवेदक श्री बालाजी स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री दलीप कुमार आदि द्वारा तहसील डोईवाला के ग्राम माजरीग्रान्ट में, कुल 1.6270 है॰ भूमि पर 200 टन प्रतिघंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर एवं प्लान्ट परिसर मे उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 2-8-2022 के सम्बन्ध मे जॉच आख्या निम्न प्रकार है:-

1:- ग्राम माजरीग्रान्ट परगना परवादून तहसील डोईवाला जिला देहरादून के खाता संख्या 2157 पर अंकित खसरा नम्बर (मतरूक) 1220 ख/.1820 है॰, 1223क/.1430, 1225/.1500, 1226/.2820, 1316 ख/.077, 1326/.1700 कुल रकबा 1.0040 है॰ लक्ष्मी सिंह पुत्री जसपाल सिंह नि कुराली रूद्रप्रयाग के नाम राजस्व अभिलेखों मे अंकित है।

2:- ग्राम माजरीग्रान्ट के खाता 737 के भूमि खसरा नम्बर 1224/.1500, 1233/0.1210 कुल 0.2710 है॰, खाता 1417 के भूमि खसरा नम्बर 1329/.1540 1330/.1210 कुल 0.2750 है॰, खाता 2086 के भूमि खसरा नम्बर 1325 ख/.1540 पर लक्ष्मी सिंह पुत्री जसपाल सिंह नि कुराली रूद्रप्रयाग का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर राजस्व अभिलेखों मे अंकित है।

3:- खातेदार लक्ष्मी सिंह पुत्री स्व जसपाल सिंह नि पाला कुराली रूद्रप्रयाग द्वारा पट्टा विलेख दिनांक 4/7/2022 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1224/.1500, 1233/.1210, 1223/.066, 1225/.1500 1226/.2820, 1220 ख/.1820, 1223/.077, 1316 ख/.077, 1326/.1700 1329/.1540, 1330/.1210, ~~1325~~ 1325 ख/.0770 है॰ कुल 1.6270 है॰ भूमि मैसर्स श्री बालाजी स्टोन क्रेशर साझेदारी फर्म द्वारा साझेदार मोहित कुठोला पुत्र स्व आर॰एस॰कुठोला, पुष्पा कुठोला/धर्म॰ कुलदीप

क्रमशः 2 पर

कुटोला निवासीगण कियावाला, दलीप कुमार पुत्र गोवर्धन लाल निवासी मालदेवगांव प्रकाश सिंह चौहान पुत्र त्रिलोक सिंह चौहान निवासी मालदेवगांव द्वारा मैसर्स शिवगंगा ट्रेडर्स को 12 वर्ष के लिए किराये पर दी गई है जिनका पट्टा विलेख संलग्न है।

4:- खसरा नम्बर 1220 की सीमा से भूमि खसरा नम्बर 1218 व 1219 राजस्व अभिलेख से लगते हुए है जो श्रेणी 6(1) जलमग्न भूमि केशव भण्डारी के नाम से राजस्व अभिलेखों में अंकित है।

5:- राजस्व अभिलेख में उपरोक्त खसरा नम्बरों से लगता हुआ कोई धार्मिक स्थल, वन भूमि व रेल मार्ग नहीं है।

आख्या सेवा में प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
28/11/2022
मनोज मिश्रा
रा० उ० नि०
मालदेवगांव

स्टोन क्रेशर हेतु आवेदित होल उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2021 के अध्याय - 1 में उल्लिखित इस स्थल से मानक दूरियाँ निम्नवत हैं। जो गूगल अर्थ के माध्यम से ली गई है।

1- सरकारी वन से दूरी — 400 मी से अधिक

2- (Perennial river) से दूरी — 500 मी० से अधिक

3- बरसाती नदी (NON-Perennial river) से दूरी — 60 मी० से अधिक

4- सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च आदि) से दूरी — 300 मी० से अधिक

5- स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम से दूरी — 300 मी० से अधिक

52

6- आबादी से दूरी - 300 मी० से अधिक

स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदित स्थल का जी० पी० एस० कॉर्डिनेट निम्नवत है।

P1 - N30°08'40.7832"
E78°09'45.3168"

P2 - N30°08'43.1088"
E78°09'44.9172"

P3 - N30°08'42.342"
E78°09'44.82"

P4 - N30°08'42.6732"
E78°09'46.5732"

P5 - N30°08'42.5616"
E78°09'42.0408"

P6 - N30°08'42.74.88"
E78°09'39.204"

डग का कॉर्डिनेट - N30°08'43.1804"
E78°09'45.92.88"

तद्नुसार आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

Pratima
12-12-2022
प्रतिमा
खनिज मोहर्रिर
तहसील (डोईवाला)

DMO Ddn
कृपया उक्त प्रकरण की संयुक्त जांच आख्या तैयार कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को आख्या प्रेषित किया जा सके।
[signature]

संलग्नक-9
(Annexure-9)

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता–द्वितीय
सिंचाई खण्ड, देहरादून

सेवामें,

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत माजरी ग्रान्ट
विकासखण्ड डोईवाला, जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड)

पत्रांकः– 215 /स0अ0–द्वितीय/सिं0खं0दे0/ दिनांकः– 29/ 12 /2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 27.12.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा (फन वैली) के पास अवस्थित जाखन नदी रीच के संबंध में नदी Perennial अथवा Non Perennial की स्थित के संबंध में जानकारी मॉगी गयी थी।

जैसा की सर्वविदित है कि उक्त स्थल पर मानसून अवधि में जाखन नदी में भारी मात्रा में पानी का प्रवाह रहता हैं। उक्त स्थल पर Lean Period में जाखन नदी में पानी प्रवाहित नही होता हैं।

अतः प्रश्नगत क्षेत्र फन वैली के अपस्ट्रीम में जाखन नदी Non Perennial प्रतीत होती हैं।

(के0 एस0 चौहान)
सहायक अभियन्ता–द्वितीय
सिंचाई खण्ड, देहरादून

संलग्नक-10,11
(Annexure-10, 11)

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या–1875/VII-A-1/2021–03(101)/2021
देहरादून: दिनांक: 11 नवम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 को अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात :–

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) इस नीति में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) **"कलक्टर"** से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) **"आयुक्त"** से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) **"स्थानीय अधिकारी"** से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा उनको न्यस्त किया गया है;

(च) **"व्यक्ति"** से भारतीय आयकर अधिनियम में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) **"पर्वतीय क्षेत्र"** के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर), अल्मोड़ा, चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर) नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;

(ज) **"मैदानी क्षेत्र"** के अन्तर्गत जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), देहरादून (तहसील ऋषिकेश,

डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;

(झ) "खनन सत्र" से 01 अक्टूबर से आगामी 30 जून तक अभिप्रेत है;

(ञ) "आबादी" से आवेदन की तिथि को कम से कम 10 परिवारों का समूह निवासरत हों, आबादी क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ट) "On site स्थापना" से नदी/गधेरे में स्वीकृत चुगान पट्टा/अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना अभिप्रेत है;

(ठ) **"नदी"** (Perennial river) से ऐसे नदी, जिसमें जल का प्रवाह वर्षभर निरन्तर होता रहता अभिप्रेत है;

(ड) **बरसाती नदी, नाला एवं गधेरा** (Non-Perennial river) से ऐसे जल प्रवाह से है, जिसमें जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है, अभिप्रेत है;

(ढ) **"नियमावली"** से यथाप्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली अभिप्रेत है;

(ण) **"नदी के किनारे"** से उच्चतम बाढ़ स्तर 'Highest flood level' अभिप्रेत है;

(त) **"महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी"** से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी अथवा उपनिदेशक, भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी से अभिप्रेत है;

(थ) **"महानिदेशक"** से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(द) **"निदेशक"** से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ध) **"राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना"** से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है;

(न) **"राष्ट्रीय/राज्य महत्व की कार्यदायी संस्था"** से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी.आर.ओ., रेल विकास निगम लि., टी.एच.डी.सी.लि., एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी., सी.पी.डब्लू.डी, पी.डब्लू.डी., यू.जे.वी.एन.एल. आदि अभिप्रेत है;

(2) **"शब्द और पद"**, जो इस नीति में परिभाषित नहीं है, परन्तु उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा जारी किया जायेगा।

अध्याय–I. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट

स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु आवेदन

3. (i)-स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन **अनुसूची–1** में उल्लिखित प्रपत्र पर वर्णित अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित छः प्रतियों में जिला स्तरीय भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

आवेदन में प्लान्ट एवं भण्डारण हेतु अधिकृत परामर्शदाता (Authorized consultant)/आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि के क्षेत्रफल को मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया हो, मानचित्र सहित प्रस्तुत की जायेगी। भण्डारण हेतु मानचित्र पर प्रदर्शित

क्षेत्रफल में एक समय में भण्डारित की जाने वाली अधिकतम उपखनिज की मात्रा का भी उल्लेख किया जायेगा।

आवेदन शुल्क 4. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु आवेदन शुल्क के रूप में रू. 10,000/-विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा।

आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण 5. आवेदन प्राप्त होने पर 03 दिन के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार हो, में विज्ञप्ति जन-साधारण की सूचना हेतु आवेदक के व्यय पर प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्ति में आवेदक इकाई का नाम, पता व स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित होगा। विज्ञप्ति पर यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि, जो प्रस्तावित प्लान्ट के निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आते हों तथा प्रस्तावित इकाई की स्थापना/संचालन से प्रभावित हों अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के **15 दिन** के अन्तर्गत जिलाधिकारी एवं महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी, को लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे।

यदि विज्ञप्ति के सापेक्ष आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रस्तर-6 में **गठित समिति** के अध्यक्ष द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति सहित आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र मय गठित समिति की आख्या संस्तुति सहित महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को अग्रसारित किया जायेगा।

स्थल चयन समिति 6. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित स्थल की जांच निम्न समिति द्वारा की जायेगी :-

1. संबंधित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी — अध्यक्ष
2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो — सदस्य
3. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी — सदस्य सचिव

चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप **अनुसूची-2** में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

दूरी के मानक 7. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन हेतु प्रस्तावित प्लांट के डक स्थल से क्षैतिज दूरी के निम्नलिखित मानक होंगे :-

क्र०सं०	स्थान	स्टोन क्रेशर	स्क्रीनिंग प्लांट
1.	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर
2.	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से	01 किलोमीटर	01 किलोमीटर
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से	500 मी०	500 मी०
	(ग) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से	50 मी०	50 मी०
3.	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर

कच्चे माल की आपूर्ति एवं उत्पादित माल का विक्रय

10. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों द्वारा क्रय किये जाने वाले कच्चे माल के स्रोत को **नोटराईज्ड शपथ–पत्र** के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
उत्पादित माल का विक्रय विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
प्लांट संचालक को उत्पादित माल के विक्रय की गयी मात्रा पर निर्धारित पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा।

स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता

11. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता टन प्रति घंटा में आवेदक द्वारा शपथ–पत्र पर घोषित की जायेगी।

(2) क्षमता का परीक्षण/प्रमाणीकरण निम्न विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा :–
क– महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी
ख– विद्युत वितरण निगम का जिला स्तरीय अधिकारी
ग–लोक निर्माण विभाग या अन्य अभियांत्रिकी विभाग का यांत्रिक अभियन्ता (Mechanical Engineer)

समिति द्वारा प्लांट का संचालन कर प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता का सत्यापन कर रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक द्वारा तद्नुसार प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता का निर्धारण किया जायेगा।

विशेषज्ञ समिति, प्रत्येक दो वर्ष में या शिकायत प्राप्त होने या प्लांट स्वामी के अनुरोध पर, प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग की क्षमता का परीक्षण कर आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशक को उपलब्ध करायेगी।

अनुज्ञा शुल्क

12. **स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :–**

क्र० सं०	संयत्र	पर्वतीय क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क	मैदानी क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क
1	स्टोन क्रेशर	रू0 10.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	रू0 20.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		रू0 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रू0 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
2	स्क्रीनिंग प्लान्ट	रू0 2.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	रू0 4.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		रू0 25,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रू0 1.00लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)

अनुज्ञा शुल्क इकाई की स्वीकृति के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।

अनुज्ञा स्वीकृति

13. (1) जिलाधिकारी एवं महानिदेशक की संस्तुति पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं उपखनिज भण्डारण हेतु अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(2) शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा भण्डारण स्थल की स्वीकृति

सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त जिलाधिकारी एवं महानिदेशक को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त तथा स्थल पर प्लान्ट के स्थापना के उपरान्त उसका उपयोग प्रारम्भ होने पर उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 143 के अधीन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें

14. प्लान्ट संचालन हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा :-

(1) अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त 02 वर्ष के भीतर प्लान्ट की स्थापना/संचालित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में प्लान्ट अनुज्ञा निरस्त कर दी जायेगी।

(2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।

(3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(4) प्लान्ट के सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।

(5) प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

(6) प्लान्ट में छेडछाड विरोधी (Tamper Proof) इलैक्ट्रानिक मीटर लगाया जाना अपरिहार्य होगा। इलैक्ट्रानिक मीटर को प्रतिदिन प्रारम्भ (Start) और बन्द (Close) किया जायेगा तथा इसकी मीटर रीडिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अभिलिखित की जायेगी।

(7) समस्त वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।

(8) खनिजों का रू. 2.00 लाख से अधिक धनराशि का क्रय एवं विक्रय की कार्यवाही चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से ही किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।

(9) प्लान्ट के प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा और रिकार्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा। औचक निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी द्वारा रिकार्डिंग मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ी पायी जाती है, तो जिला स्तरीय खान अधिकारी द्वारा प्लांट स्वामी के ऊपर ₹ 250.00 प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जिसे प्लांट स्वामी द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।

विनियमितीकरण

15. (1) पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी, जिन्होंने अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रतिघंटा में घोषित नहीं किया है अथवा विनियमितीकरण नहीं हुआ है, को इस नीति की घोषणा के 06 माह के भीतर अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषित करना आवश्यक होगा।

Annexure-12 (Annexure-12)

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 813 /VII-A-1/2023/03(101) 2021
देहरादून, दिनांकः 25 मई, 2023

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

राज्यपाल, उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु 6 "स्थल चयन समिति" में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

स्थल चयन समिति	6. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित स्थल की जांच निम्न समिति द्वारा की जायेगी:–

वर्तमाम प्रावधान		एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान	
1. सम्बन्धित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	1. सम्बन्धित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो	सदस्य	2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो	सदस्य
3. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य सचिव	3. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची–2 में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।		4. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य सचिव
		चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची–2 में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।	

आज्ञा से,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

Leber 2023